23

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्
CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

(भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 के अधीन गठित)

(Constituted under I.M.C.C. Act, 1970)

वार्षिक प्रतिवेदन और परीक्षित लेखा
(1992-93)
Annual Report and Audited Accounts
(1992-93)

1ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर, नई दिल्ली-110055
1E/6, Swami Ramtirath Nagar, New Delhi-110 055

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

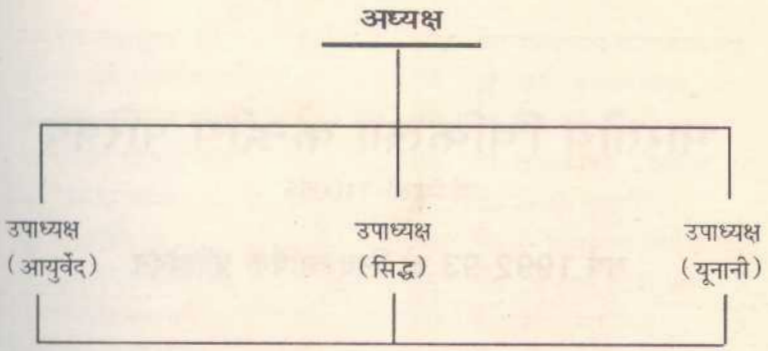

निबन्धक एवं सचिव

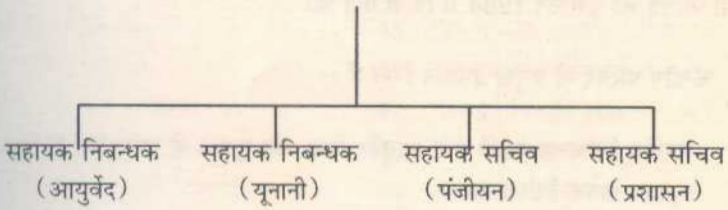

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

नई दिल्ली-110055

वर्ष 1992-93 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अधीन गठित एक सांविधिक निकाय है। प्रथम परिषद का गठन 1971 में किया गया था। भारत के असाधारण राजपत्र भाग II खण्ड 3 उपखण्ड II दिनांक 7-5-84 में भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा परिषद का पुर्नगठन 1984 में किया गया था।

केन्द्रीय परिषद के प्रमुख प्रयोजन निम्न हैं :-

(I) भारतीय चिकित्सा पद्धति यथा आयुर्वेद सिद्ध और यूनानी के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करना।

(II) भारतीय चिकित्सा की चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता से सम्बन्धित विषयों पर केन्द्र सरकार को परामर्श देना।

(III) भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का रख-रखाव और समय-समय पर उसे परिशोधित करना।

(IV) भारतीय चिकित्सा के चिकित्साभ्यास को विनियमित करना और चिकित्साभ्यासियों के आचरण एवं शिष्टाचार तथा आचार संहिता के मानक विहित करना।

स्थापना वर्ष 1971 से ही केन्द्रीय परिषद स्नातकीय और स्नातकोत्तर स्तरों पर भारतीय चिकित्सा पद्धति अर्थात आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की पाठ्य विधि एवं पाठ्यविवरण सहित विभिन्न विनियमों को जारी एवं लागू करती रही है।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के लगभग समस्त महाविद्यालय देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं। ये महाविद्यालय परिषद द्वारा विहित शिक्षा के न्यूनतम स्तर, जिनमें पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण सम्मिलित है, का अनुसरण कर रहे हैं।

परिषद की संरचना

केन्द्रीय परिषद के निम्न सदस्य हैं :-

आयुर्वेद

1. डा॰ डी॰ राधाकृष्ण मूर्ति
2. डा॰ पी॰ बी॰ शतकोपाचार्य
3. डा॰ सुकुमार भट्टाचारजी
4. डा॰ देवव्रत नारायण सिंह
5. डा॰ महेश्वर पाण्डे
6. डा॰ इन्द्रमोहन झा
7. डा॰ अलख नारायण सिंह
8. डा॰ जनार्दन एन॰ दवे
9. डा॰ दिनेश आर॰ पटेल
10. डा॰ कृष्ण चन्द्र शर्मा
11. डा॰ गुलशन राय शर्मा
12. कविराज भूपेन्द्र नाथ गुप्त
13. वैद्य गौरी शंकर द्विवेदी
14. वैद्य पंचैया होशमठ
15. डा॰ ए॰ सी॰ राहुल कुमार
16. डा॰ के॰ माधवन नायर
17. वैद्य पं॰ महेश दत्त शर्मा शास्त्री
18. डा॰ प्रसन्न कुमार जैन
19. वैद्य हरिकृष्ण एस॰ जोशी
20. डा॰ एस॰ आई॰ नागराल
21. डा॰ स्वप्नेश्वर पण्डा
22. वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी
23. वैद्य मदन मोहन पुष्करण (फरवरी, 1993 में निधन)
24. वैद्य उदयशंकर शर्मा
25. वैद्य गोकुलेन्द्र शर्मा
26. डा॰ व्ही॰ नारायण स्वामी
27. डा॰ रामप्रकाश गुप्ता
28. डा॰ हुकम चन्द शर्मा
29. डा॰ प्रेमदत्त शर्मा
30. डा॰ आनन्द राय
31. वैद्य के॰ के॰ पाण्डे
32. डा॰ कनक सिंह खीमा भाई झाला
33. वैद्य श्यामलाल वशिष्ठ शास्त्री
34. डा॰ एल॰ छिक्काराजना
35. डा॰ एस॰ वी॰ सावदी
36. डा॰ सच्चिदानन्द उपाध्याय
37. डा॰ ए॰ के॰ दुलानी
38. वैद्य पं॰ शिवकरण शर्मा छांगाणी
39. वैद्य राधाकृष्ण श्रीधर वारे
40. वैद्य शिवकुमार मिश्र
41. वैद्य जगन्नाथ मिश्र
42. डा॰ पी॰ के॰ देवनाथ
43. प्रो॰ आर॰ सी॰ चतुर्वेदी
44. वैद्य हरिनारायण स्वामी
45. प्रो॰ वी॰ जे॰ ठक्कर
46. आचार्य प्रियव्रत शर्मा
47. आचार्य प्रियव्रत शर्मा
48. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
49. कविराज नानक चन्द शर्मा
50. वैद्य के॰ एस॰ वारियर
51. डा॰ बी॰ ए॰ हीरेमठ
52. डा॰ डी॰ एल॰ नारायण
53. वैद्य चन्द्रशेखर गौड़
54. डा॰ पी॰ सी॰ भट्टाचार्य

सिद्ध

55. डा॰ जी॰ अन्ना स्वामी
56. डा॰ के॰ पलानीचामी

यूनानी

57. हकीम मो॰ अशरफ करीम
58. डा॰ मदन स्वरूप गुप्ता
59. हकीम मोहम्मद उमर
60. डा॰ धर्म चन्द

61. डा॰ दोलतराम भराज
62. डा॰ बन्सीलाल पण्डित
63. डा॰ अब्दुर्रहमान
64. हकीम अब्दुल मोबिन खान
65. हकीम वेदप्रकाश शर्मा
66. हकीम मो॰ इकबाल खान
67. प्रो॰ हकीम सैयद् खलीफ थुल्लाह
68. डा॰ एम॰ टी॰ खान
69. हकीम मो॰ अहमद लारी
70. डा॰ सैयद शाजी हैदर
71. प्रो॰ हकीम मो॰ तैय्यब
72. हकीम अब्दुल हमीद
73. हकीम फैजान अहमद
74. हकीम फैयाज आलम
75. डा॰ जे॰ डी॰ सन्दरवाले

पदाधिकारी

परिषद के निम्न पदाधिकारी हैं :-

1.	प्रो॰ हकीम सैयद खलीफथ्थुल्लाह	अध्यक्ष
2.	वैद्य पं॰ शिवकरण शर्मा छांगाणी	उपाध्यक्ष आयुर्वेद
3.	हकीम मोहम्मद अहमद लारी	उपाध्यक्ष यूनानी 28-3-1993 से
4.	डा॰ एस॰ आई॰ नागराल	सभापति, शिक्षा समिति आयुर्वेद
5.	प्रो॰ हकीम मोहम्मद तैय्यब	सभापति, शिक्षा समिति यूनानी
6.	डा॰ प्रसन्न कुमार जैन	सभापति, पंजीयन समिति
7.	वैद्य पं॰ महेश दत्त शर्मा शास्त्री	सभापति, विनियम समिति

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 9 के अनुसार केन्द्रीय परिषद की निम्न मुख्य समितियां हैं :-

1. आयुर्वेद समिति
2. सिद्ध समिति
3. यूनानी समिति

उपर्युक्त समितियां भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 3 की उपधारा (I) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन निर्वाचित और खण्ड (ग) के अधीन मनोनीत आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति का प्रतिनिधित्व करने वाली सदस्यों से युक्त है।

धारा 3 की उपधारा (3) के अधीन आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के उपाध्यक्ष क्रमशः ऊपर संदर्भित समितियों के सभापति हैं।

ऐसे सामान्य या विशिष्ट निर्देशों जो समय समय पर केन्द्रीय परिषद देती है प्रत्येक समिति आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति जैसा भी प्रकरण हो से सम्बन्धित किसी भी विषय को केन्द्रीय परिषद की सक्षमता में करने के लिए समर्थ है।

विभिन्न कार्यों को करने के लिए केन्द्रीय परिषद ने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अधीन निम्न समितियों का भी गठन किया

कार्यकारिणी समिति

अधिनियम एवं उसके अधीन निर्मित नियमों एवं विनियमों के ढांचे में केन्द्रीय परिषद द्वारा निर्धारित सामान्य नीति एवं सिद्धान्तों के अनुरूप परिषद के कार्यों का निष्पादन करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद सामान्य विनियम 1976 की संख्या 5 के अनुरूप कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया है। समिति में भारतीय चिकित्सा अर्थात आयुर्वेद सिद्ध एवं यूनानी पद्धतियों का पूर्ण प्रतिनिधित्व है।

कार्यकारिणी समिति के निम्न सदस्य हैं :-

सभापति	1.	प्रो॰ हकीम सैयद खलीफथ्थुल्लाह	अध्यक्ष
सदस्य	2.	वैद्य पं॰ शिवकरण शर्मा छांगाणी	उपाध्यक्ष आयुर्वेद
	3.	हकीम एम॰ ए॰ लारी	उपाध्यक्ष यूनानी (28-3-1993) से
	4.	डा॰ एस॰ टी॰ गूजर	
	5.	वैद्य प्रमोद कुमार तिवारी	
	6.	डा॰ रामप्रकाश गुप्ता	
	7.	डा॰ के॰ माधवन नायर	
	8.	प्रो॰ हकीम मो॰ तैय्यब	
	9.	हकीम वेदप्रकाश शर्मा	
	10.	डा॰ के॰ पलानीचामी	

विनियम समिति

समय-समय पर यथा आवश्यक केन्द्रीय परिषद के विहित विनियमों को बनाने तथा उससे सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिए परिषद द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अधीन विनियम समिति का गठन किया गया।

विनियम समिति के निम्न सदस्य हैं :-

सभापति	1.	वैद्य पं॰ महेश दत्त शर्मा शास्त्री
सदस्य	2.	वैद्य मदन मोहन पुष्करण (फरवरी, 1993 में निधन)
	3.	वैद्य हरिनारायण स्वामी
	4.	डा॰ स्वप्नेश्वर पण्डा
	5.	डा॰ पचैया होसमठ
	6.	डा॰ जनार्दन एन॰ दवे
	7.	डा॰ पी॰ बी॰ शतकोपाचार्य

8. डा॰ महेश्वर पाण्डे
9. डा॰ गुलशन राय शर्मा
10. डा॰ डी॰ राधाकृष्ण मूर्ति
11. डा॰ जे॰ डी॰ सन्दरवाले
12. डा॰ बन्सीलाल पण्डित
13. डा॰ अब्दुर्रहमान
14. डा॰ धर्मचन्द

पंजीयन समिति

परिषद ने विभिन्न चिकित्सीय अर्हताओं की मान्यता एवं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की अनुसूचियों में उनका समावेश करने सम्बन्धी मामलों को देखने तथा इस विषय में अनुशंसाएं करने के लिए पंजीयन समिति का गठन किया। पंजीयन से सम्बन्धित विषयों पर विचार करना भी इस समिति के अधिकार में है।

पंजीयन समिति के निम्न सदस्य हैं :-

सभापति 1. डा॰ प्रसन्न कुमार जैन
सदस्य 2. प्रो॰ आर॰ सी॰ चतुर्वेदी
3. डा॰ कृष्ण चन्द्र शर्मा
4. डा॰ हरिकृष्ण एस॰ जोशी
5. डा॰ पी॰ के॰ देवनाथ
6. डा॰ प्रेमदत्त शर्मा
7. डा॰ ए॰ सी॰ राहुल कुमार
8. डा॰ डी॰ आर॰ पटेल
9. डा॰ बी॰ ए॰ हीरेमठ
10. डा॰ रामप्रकाश गुप्ता
11. डा॰ इन्द्रमोहन झा
12. डा॰ मदन स्वरूप गुप्ता
13. डा॰ एम॰ टी॰ खान
14. डा॰ मो॰ उमर
15. डा॰ दौलतराम भराज
16. डा॰ हकीम फैजान अहमद

शिक्षा समितियां (आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी)

शिक्षा समितियां आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी की शिक्षा से सम्बन्धित समस्त कार्यों को करने में सक्षम हैं। आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी शिक्षा समितियों के निम्न सदस्य हैं :-

आयुर्वेद :

सभापति 1. डा॰ एस॰ आई॰ नागराल
सदस्य 2. वैद्य॰ पं॰ शिवकरण शर्मा छांगाणी (उपाध्यक्ष आयुर्वेद)
3. वैद्य देवेन्द्र कुमार त्रिगुणा
4. कविराज नानक चन्द शर्मा
5. डा॰ रामप्रकाश गुप्ता
6. डा॰ आनन्द राय
7. डा॰ सत्यपाल गुप्ता
8. डा॰ हुकम चन्द शर्मा
9. वैद्य शिवकुमार मिश्र
10. वैद्य जगन्नाथ मिश्र
11. प्रो॰ प्रियव्रत शर्मा
12. कविराज बी॰ एन॰ गुप्त
13. डा॰ व्ही नारायण स्वामी

सिद्ध

सदस्य 1. डा॰ के॰ पलानी चामी
2. डा॰ जी॰ अन्नास्वामी

यूनानी

सभापति 1. हकीम मो॰ तैय्यब
सदस्य 2. हकीम एम॰ ए॰ लारी (उपाध्यक्ष यूनानी)
3. हकीम सैय्यद शाजी हैदर
4. हकीम मो॰ अशरफ करीम
5. हकीम अब्दुल मोबिन खान
6. हकीम अब्दुल हमीद
7. हकीम फैयाज आलम
8. हकीम मो॰ इकबाल खान
9. डा॰ मदन सरूप गुप्ता

वर्ष 1992-93 के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गई :-

1.	भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद	एक
2.	आयुर्वेद समिति	एक
3.	सिद्ध समिति	एक
4.	यूनानी समिति	एक
5.	कार्यकारिणी समिति	चार

6.	शिक्षा समिति आयुर्वेद	एक
7.	शिक्षा समिति यूनानी	एक
8.	विनियम समिति	एक
9.	पंजीयन समिति	एक
10.	चयन समिति	एक

केन्द्रीय परिषद की वार्षिक बैठक नई दिल्ली में 27 और 28 मार्च, 1993 को सम्पन्न हुई। केन्द्रीय परिषद ने वर्ष के दौरान सम्पन्न विभिन्न समितियों के कार्यवृत्तों को दृढ़ किया।

केन्द्रीय परिषद ने निम्न अनुशंसाएं कीं :-

भारतीय चिकित्सा पद्धति में उपाधि और डिप्लोमा प्रदान करने वाली अनाधिकृत संस्थाओं को प्रतिबन्धित करने के लिए प्रस्तावित विधान में सम्मिलित किए जाने वाले निम्न नुक्ते जिन पर अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के कक्ष में 16-1-92 को विमर्श हुआ को केन्द्रीय परिषद के द्वारा मान लिया गया :-

(i) केन्द्र सरकार के द्वारा यथा प्रस्तावित कानून पारित किया जाना चाहिए।

(ii) तीन वर्ष तक के कारावास की सजा (कम से कम 6 माह का कारावास) और एक लाख रुपये (कम से कम 10,000/- रुपए) तक के जुर्माने का प्रावधान ऐसे अधिनियम में किया जाना चाहिए।

(iii) अनाधिकृत संस्थाओं में संलग्न स्वामी/प्रबन्धक/अध्यापकों को सजा दी जानी चाहिए।

(iv) विधेयक की धारा 7 में संशोधन करके अपराध को दण्डनीय बनाया जाना चाहिए। इससे पुलिस स्वत: अथवा किसी के द्वारा शिकायत/एफ॰ आई॰ आर॰ देने पर कार्रवाई कर सकेगी, जब भी अधिनियम के अधीन किसी अपराध का पता चलेगा तो सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधिकारियों और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के कार्यालय द्वार भी शिकायत दर्ज की जा सकेगी।

(v) विधेयक में एक अलग धारा प्रदान की जानी चाहिए जिसके अधीन राज्य अधिनियम एवं प्रस्तावों को कार्यान्वित करने, प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रबोधन हेतु नियम बनाने में सक्षम हो सके।

(vi) राज्यों के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन मान्यता प्राप्त अर्हताओं को प्रतिबंधित करती परिवर्णी उपाधियों/प्रमाण पत्रों पर रोक लगाई जानी चाहिए।

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने दो वर्ष पूर्व राज्य में आयुर्वेद एवं यूनानी महाविद्यालय को पुन: प्रारम्भ करने का निर्णय लिया था और इसके लिए निधि भी रखी थी परन्तु अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। यदि महाविद्यालय नहीं खोले गए तो व्यावसायिक स्नातकों के अभाव में भविष्य में अधिकांश औषधालय बन्द हो जायेंगे क्योंकि राज्य के कानून के अनुसार वहां अन्य किसी राज्य का व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह सकंल्प लिया गया कि उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल के माध्यम से महाविद्यालय खोलने के लिए जम्मू एवं काश्मीर सरकार से सम्पर्क किया जाय क्योंकि राज्य में प्रारम्भिक सुविधाएं जैसे कि अस्पताल, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कर्मचारी आदि पहले से ही उपलब्ध हैं।

आयुर्वेद

केन्द्रीय परिषद ने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर और गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर के विभागाध्यक्षों से विमर्श के पश्चात् उप-समिति द्वारा पुनरावलोकित आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विवरण एवं पाठ्यविधि को अनुमोदित किया। समिति ने पंचकर्म में भी पृथक से स्नातकोत्तर उपाधि प्रदान करने हेतु वैद्य आर॰ एस॰ वारे के प्रस्ताव को स्वीकार किया।

केन्द्रीय परिषद ने डा॰ महेश्वर पाण्डे के द्वारा यथा प्रस्तावित आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम के स्त्रीरोग एवं प्रसूति तंत्र पाठ्यविवरण में जैनेटिक विषय का समावेश करने के लिए उपसमिति की अनुशंसाओं को स्वीकार किया।

केन्द्रीय परिषद ने सकंल्प किया कि आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम में पर्यावरण विषय, उसके रोग एवं उनके निदान को सम्मिलित किया जाय। यह निर्णय लिया गया कि विषय रोग और निदान का विवरण सम्बन्धित विषय में समावेश के लिए इसकी जाँच हेतु तैयार किया जाय।

केन्द्रीय परिषद ने राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर को शल्यतंत्र में स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम एवं अगदतंत्र में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति देने का निर्णय लिया। आगे यह निर्णय लिया गया कि रोग निदान में स्नातकोत्तर अध्ययन हेतु प्रविष्ट छात्रों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के द्वारा निर्धारित मार्ग-दर्शन सिद्धान्त के अनुसार पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जाय, परन्तु इस विषय में आगे प्रवेश तब तक नहीं दिया जाय जब तक भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। संस्था को द्रव्यगुण में स्नातकोत्तर पाठ्क्रम संचालित करने की अनुमति नहीं दी गई है।

केन्द्रीय परिषद ने निर्णय लिया कि श्री आयुर्वेद महाविद्यालय, नागपुर को निम्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाय :-

1. संहिता, 2. शरीर रचना, 3. शरीर क्रिया, 4. द्रव्यगुण विज्ञान, 5. रसशास्त्र और भैषज्य कल्पना, 6. काय चिकित्सा, 7. शल्यतंत्र एवं 8. शालाक्य तंत्र

केन्द्रीय परिषद ने निर्णय लिया कि आयुर्वेद महाविद्यालय, धुले को आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाय। महाविद्यालय में प्रवेश तत्काल बन्द किया जाए।

केन्द्रीय परिषद ने निर्णय लिया कि दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, जालन्धर और गुरूनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर को सूचित किया जाय कि जब तक कमियों को दूर नहीं किया जाता और केन्द्रीय परिषद को अनुपालन प्रतिवेदन भेजे जाने तक सत्र 1993-94 से दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, जालन्धर में कोई प्रवेश नहीं किया जाय।

केन्द्रीय परिषद ने गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद महाविद्यालय, रोहतक के परिदर्शन प्रतिवेदन को अंकित किया और निर्णय लिया कि महाविद्यालय की दयनीय दशा और गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद महाविद्यालय, रोहतक में शिक्षा और प्रशिक्षण की कमी को देखते हुए इसे जारी रहने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सत्र 1993 से छात्रों का प्रवेश बन्द कर दिया जाय।

केन्द्रीय परिषद ने निर्णय लिया कि मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्थल बोहर के प्राधिकारियों को केन्द्रीय परिषद के द्वारा विहित न्यूनतम अपेक्षाओं के अनुरुप न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करने और परिदर्शकों द्वारा परिदर्शन प्रतिवेदन में इंगित कमियों को दूर करने के लिए कहा जाय।

केन्द्रीय परिषद ने विदेशियों के लिए 18 माह का सर्टीफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रम अनुमोदित किया। यह निर्णय लिया गया कि यह पाठ्यक्रम भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में लागू किया जा सकता है। आगे यह निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 की धारा 22 (2) के अधीन विहित प्रावधानानुसार इसे समस्त राज्य सरकारों को परिचालित करते हुए भारत सरकार की स्वीकृति हेतु आगे कार्वाई की जाय।

केन्द्रीय परिषद ने निर्णय लिया कि श्री धन्वन्तरि आयुर्वेद महाविद्यालय, चण्डीगढ़ को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के नियमों और विनियमों के अनुसार वर्ष 1992-93 के लिए पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी जाय और प्रवेश वरिष्ठता के आधार पर किया जाये।

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि कुछ विश्वविद्यालयों ने अपनी राज्य सरकारों की अनुमति पर कुछ आयुर्वेद महाविद्यालय सम्बद्ध किए हैं। परन्तु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिष्द के स्पष्ट निर्देशों के उपरान्त भी सम्बन्धित राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय के द्वारा केन्द्रीय परिषद की अनुमति नहीं ली गई है। इन हीन स्तरीय संस्थाओं में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों का अनुपालन नहीं किया गया। विश्वविद्यालय के कुल सचिवों से मानकों का अनुपालन करने और आयुर्वेदाचार्य पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए नई संस्थाओं को तब तक सम्बद्ध नहीं करने का बार बार अनुरोध किया गया था जब तक केन्द्रीय परिषद संस्था के न्यूनतम स्तरों का निर्धारण नहीं करती और इसके लिए अनुमति नहीं देती।

केन्द्रीय परिषद के द्वारा मामले पर विस्तार से विमर्श हुआ और इसे गम्भीरता से लिया गया। केन्द्रीय परिषद ने परिषद के द्वारा बनाई गई महाविद्यालयों की सूची का भी अवलोकन किया। यह निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के द्वारा अनुमोदित महाविद्यालयों की सूची प्रत्येक राज्य के तीन समाचार-पत्रों (1) अग्रेंजी (2) हिन्दी और (3) क्षेत्रीय भाषा में विशेष तौर पर महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और उत्तर प्रदेश के मामले में प्रकाशित कराई जाय। स्वास्थ्य विभाग के सम्बन्धित प्राधिकारियों को भी अनुमोदित संस्थाओं की सूची से अवगत करवाया जाय। आगे यह निर्णय लिया

गया कि सम्बन्धित विश्वविद्यालयों को सख्ती से चेतावनी दी जाय और उनसे सम्बद्ध निम्न स्तरीय महाविद्यालयों में प्रवेश बन्द करने को कहा जाय। यदि विश्वविद्यालय परिषद के निर्णय का अनुपालन करते हुए उचित कार्वाई करने में असफल रहते हैं तो उपाधि की मान्यता शीघ्र समाप्त कर दी जाय और इसके लिए आवश्यक कार्रवाई की जाय। सदस्यों को भी रिपोर्ट भेजी जाय।

विनियमों का उल्लंघन

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय निम्न बातों का अनुसरण नहीं कर रहा है- (i) आयुर्वेदीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के मानदण्ड (ii) प्रदान की जा रही उपाधि की नामावलि विहित नामावलि के अनुरुप नहीं है। (iii) पाठ्यक्रम की विषय वस्तु भी भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा यथा विहित के अनुरुप नहीं है।

केन्द्रीय परिषद ने सकंल्प किया कि उपर्युक्त विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाय कि केन्द्रीय परिषद के द्वारा अनुमोदित नामावलि, पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण जैसी मूल बातों को अविलम्ब अपनाया जाय और लागू किया जाय अन्यथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी की स्नातकोत्तर उपाधि की मान्यता समाप्त करने हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाय।

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि श्यामदास वैद्य शास्त्रपीठ, कलकत्ता ने केन्द्रीय परिषद के परामर्श जो कि आयुर्वेद स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित विनियमों के अधीन अनिवार्य है के बिना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुमति से तीन विषयों अर्थात (i) द्रव्यगुण, (ii) रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान एवं (iii) शरीर संहिता में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया है।

यह भी अंकित किया गया कि (i) द्रव्यगुण (ii) रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान और (iii) शरीर संहिता जैसे उन विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति दी गई है जिनमें कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद द्वारा पाठ्य विवरण विहित नहों किया गया है, जैसा कि अन्य विषयों में किया गया है। छात्रों को पढ़ाये जाने वाले विषय वस्तु भी ज्ञात नहीं है।

केन्द्रीय परिषद का विचार था कि संस्था की विद्यमान स्थिति के वास्तविक निर्धारण के बिना भविष्य में सरकार के द्वारा किसी भी संस्था को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने की अनुमति देना उचित नहीं है। यह भारत सरकार के द्वारा अपने पत्रांक वी 26025/31/78-ए॰ ई॰ दिनांक 16-2-79 द्वारा समस्त राज्य सरकारों के स्वास्थ्य सचिवों को भेजे गए पूर्व निर्णय/निर्देशों के अनुरुप है।

यह निर्णय लिया गया कि संस्था का प्रत्यक्षावलोकन किया जाय ।

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे के द्वारा प्रदत्त आयुर्विद्या पारंगत उपाधि भा॰ चि॰ के॰ प॰ अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुंसूची में 1980 तक ही सम्मिलित है। इस सम्बन्ध में भारत के गृहमंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव ने अपने पत्रांक 23/ एम ए आर/19 / एच एम पी दिनांक 21-12-92 के द्वारा सूचित किया कि तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे ने पाठ्यक्रम

तो बन्द कर दिया परन्तु पुनरावृत्तकों के लाभ के लिए और पहले से पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए परीक्षाएं 1988 तक ली गई। वर्ष 1988 के पश्चात् कोई भी परीक्षा नहीं ली गई और अब विद्यापीठ भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद से अनुरोध करती है कि 1980 के पश्चात् 1988 तक प्रदत्त आयुर्विद्या पारंगत अर्हता को मान्यता दी जाय।

केन्द्रीय परिषद ने मामले पर विस्तार से विमर्श किया और सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 1980 या उससे पूर्व प्रविष्ट/पंजीकृत अभ्यर्थियों की अर्हता पर ही विचार किया जाय और विद्यापीठ से विवरण का सत्यापन किया जाय।

नवीन महाविद्यालयों को अनुमति

केन्द्रीय परिषद ने केन्द्रीय परिषद के द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के अनुरूप आयुर्वेद स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने हेतु संस्था में उपलब्ध न्यूनतम स्तरों और अपेक्षाओं के निर्धारण के पश्चात् निम्न नई संस्थाओं को आयुर्वेद की स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने की अनुमति इस शर्त पर दी गई कि इंगित कमियों को एक वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा-

1. भारतीय विद्यापीठ आयुर्वेद महाविद्यालय, इरण्डवाने, पुणे
2. आयुर्वेद महाविद्यालय एवं शोध केन्द्र पूना जिलाशिक्षा संगठन, अकुर्डी
3. आर० जे० एम० एच० भाई साहेब सावंत आयुर्वेद महाविद्यालय, सावन्तवाड़ी

महाविद्यालयों का परिदर्शन

स्नातकीय/स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप न्यूनतम स्तरों एवं अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु संस्थाओं/आयुर्वेद महाविद्यालयों का वर्ष के दौरान परिदर्शन किया गया :-

वर्ष 1992-93 के दौरान परिदर्शित आयुर्वेद महाविद्यालयों की सूची

संस्था/महाविद्यालय का नाम	परिदर्शन की तिथि	स्नातकीय/ स्नातकोत्तर
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक		
श्री माडूंसिंह मेमोरियल महिला आयुर्वेद, उपाधि महाविद्यालय खानपुर कलां, सोनीपत, (हरियाणा)	29-9-92	स्नातकीय
गौड़ ब्राह्मण आयुर्वेद महाविद्यालय, रोहतक(हर०)	28-9-92	स्नातकीय
मस्तनाथ आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्थल बोहर (हर०)	30-9-92	स्नातकीय
गुरूनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर		
दयानन्द आयुर्वेद महाविद्यालय, जालन्धर (पंजाब)	21-5-92	स्नातकीय
आन्ध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान, विजयवाड़ा		
एस० वी० आयुर्वेद महाविद्यालय, तिरूपति, आन्ध्र प्रदेश	25-6-92	स्नातकीय
कुवेम्पू विश्वविद्यालय, शिमोगा		
ए० एल० एन० राव मेमोरियल आयुर्वेद महाविद्यालय, कोप्पा, (कर्नाटक)	31-7-92	स्नातकीय
गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा, (कर्नाटक)		
आयुर्वेद महाविद्यालय, बीदर (कर्नाटक)	10-3-92	स्नातकीय
पूना विश्वविद्यालय, पुणे		
सिद्धकला आयुर्वेद महाविद्यालय, संगमनेर, (महा०)	30-11-92	स्नातकीय
भारतीय विद्यापीठ आयुर्वेद महाविद्यालय, इरण्डवाने	1-12-92	स्नातकीय
कालेज आफ आयुर्वेद एवं रिसर्च सेन्टर, पूना	2-12-92	स्नातकीय
जिला एजूकेशन एसोसिएशन अकुर्डी (महाराष्ट्र)		
आयुर्वेद महाविद्यालय, संगमनेर, जिला अहमदनगर (महा०)	12-3-92	स्नातकीय
तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय, पुणे (महाराष्ट्र)	18-3-92	स्नातकोत्तर
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर		
गंगा एजूकेशन सोसायटी आयुर्वेद महाविद्यालय, कोल्हापुर (महाराष्ट्र)	3-12-92	स्नातकीय
सेठ गोविन्दजी रावजी आयुर्वेद महाविद्यालय, शोलापुर (महाराष्ट्र)	20-3-92	स्नातकोत्तर
बम्बई विश्वविद्यालय		
आर० जे० एम० एच० भाई साहेब आयुर्वेद महाविद्यालय, सावन्तवाड़ी (महाराष्ट्र)	4-12-92	स्नातकीय
आयुर्वेद महाविद्यालय, सायन बम्बई (महाराष्ट्र)	22-3-92	स्नातकोत्तर

यूनानी

केन्द्रीय परिषद ने यूनानी तिब्बी महाविद्यालयों में एक वर्षीय विशिखानुप्रवेश सहित 4½ वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम प्रत्येक 2½ वर्ष के पश्चात् तीन व्यावसायिक परीक्षाएं प्रारम्भ करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया।

केन्द्रीय परिषद ने अध्यापन कार्यक्रम और अस्पताल के कार्य को सुचारू रूप से लागू करने से सम्बन्धित परिषद के निर्णय के प्रकाश में प्रो० फरीदगनी, निदेशक शैक्षिक कार्यक्रम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के पत्र की विषय सूची को अंकित किया। यह अनुरोध किया गया था कि निम्न पर स्पष्टीकरण दिया जाय-

"यूनानी के स्नातकीय पाठ्यक्रम के छात्रों को पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम विशेषकर शल्य, रेडियोलोजी, एनसथीसियालोजी और पैथोलोजी। उपर्युक्त पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित पुस्तकें।"

केन्द्रीय परिषद ने प्रकरण पर विचार किया और उन्हें यह सूचित करने का संकल्प लिया कि केन्द्रीय परिषद के द्वारा पहले से ही अन्तिम रूप दिए गए पाठ्यविधि एवं पाठ्य विवरण जो केन्द्र सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित है, व्यापक और स्वत: स्पष्ट है।

राजकीय तिब्बिया महाविद्यालय, पटना और निजामिया तिब्बिया महाविद्यालय एवं अस्पताल, गया को दो वर्षों के लिए यूनानी तिब्ब में स्नातकीय पाठ्यक्रम प्रदान करने की अनुमति दी गई। परिदर्शन प्रतिवेदन में इंगित कमियों को पूरा करने हेतु संस्था के प्राधिकारियों, विश्वविद्यालय और राज्य सरकार को प्रेषित किया गया।

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि यूनानी तिब्ब में कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत का संशोधित पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 के अधीन यथा अपेक्षित स्वीकृति के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा गया (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय) ने अपने पत्र दिनांक 28-9-92 के द्वारा सूचित किया कि विद्यमान और प्रस्तावित पाठ्यविवरण के सम्बन्ध में दिया गया औचित्य स्पष्ट नहीं है और उसके लिए विस्तृत विमर्श अपेक्षित है।

यह सुझाव दिया गया कि मामले को आगे ले जाने से पूर्व मंत्रालय में माननीय परामर्शदाता (यूनानी) से विमर्श किया जाय। मंत्रालय की टिप्पणियों पर पर्याप्त विचार करने के पश्चात् यह विचार किया गया कि प्रस्तावित पाठ्यविधि और पाठ्यविवरण प्रत्येक दृष्टि से स्पष्ट है। अत: मंत्रालय से पुन: अनुरोध किया जाय कि इसे देखे और यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करें।

केन्द्रीय परिषद ने यूनानी समिति के इस विचार को मान लिया कि केन्द्रीय परिषद के द्वारा यूनानी पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य के लिए अनुमोदित प्राच्य अर्हताओं की सूची की पुनरीक्षा की जाय।

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि यूनानी तिब्ब में स्नातकोत्तर शिक्षा से सम्बन्धित विहित विनियमों में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के द्वारा अनुमोदित संशोधन भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 के अधीन यथा अपेक्षित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की स्वीकृति के लिए प्रेषित किए गए थे। इसके उत्तर में मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 14-9-90 के द्वारा सूचित किया कि मंत्रालय में प्रस्ताव की जांच की गई और पाया कि निम्न भिन्नता की पुष्टि की जाय :-

क्रम संख्या 2 इल्मुल अमराज व अमराजे जरासीम (पैथालाजी और बैक्टीरियालोजी) और क्रम संख्या 11 पर "इलमुल अमराज" (पैथालोजी) दोनों समान हैं। इलमुल अमराज में इलमुल जरासीम अर्थात बैक्टीरियालोजी भी सम्मिलित है।"

उपर्युक्त पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को निम्न स्पष्टीकरण भेजा गया:-

"पैथालोजी और बैक्टीरियालोजी दोनों भिन्न विषय हैं। और दोनों सम चिकित्सीय वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं। चूंकि नैदानिक क्षेत्र में दोनों अन्योन्य सम्बन्धित हैं, दोनों का इकट्ठा शिक्षण और परीक्षा सम्भव है। अत: या तो इल्मुल अमराज या इलमुल जरासीम (क्रम संख्या 2) पर अथवा मात्र इल्मुल जरासीम क्रम संख्या-2 पर और इल्मुल अमराज क्रम संख्या-11 पर होना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पुन: कहा कि परामर्शदाता (यूनानी) से इस मामले में परामर्श किया गया है जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के विचारों से सहमत नहीं है। अत: वे मामले पर पुनर्विचार करें और यदि अपेक्षित हो तो परामर्शदाता यूनानी को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के विचार विमर्श में सहायक बनाया जाय।

केन्द्रीय परिषद ने प्रकरण पर विचार किया और संकल्प लिया कि इस मामले पर शिक्षा समिति जिसमें योग्य तकनीकी कार्मिक हैं के द्वारा दो बार विचार किया जा चुका है और आगे विचार बिल्कुल व्यर्थ है। स्वीकृति पहले ही विलम्बित हो चुकी है, अत: मामले में और आगे विलम्ब की बजाय शीघ्र स्वीकृति दी जाय।

केन्द्रीय परिषद ने निर्णय लिया कि यूनानी तिब्ब के स्नातकीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से उर्दू का ज्ञान दसवीं कक्षा अथवा मंडल/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त उर्दू में समकक्ष परीक्षा तक होना चाहिए।

केन्द्रीय परिषद ने हकीम तशरवीर अहमद द्वारा संकलित कुल्लियाते-उमूरे-ए-तबीया पुस्तक को कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम के कुल्लियाते-उमूरे-ए-तबीया विषय हेतु संदर्भ पुस्तक के रूप में संस्तुत किया।

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि वर्तमान में 1970 अथवा उससे पूर्व लिखी गई पुस्तकों को कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम के लिए विहित किया हुआ है। विषय का अद्यतन ज्ञान देने के लिए ऐसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों को पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों पर अद्यतन पुस्तकें विहित करना अनिवार्य है। विषय पर अद्यतन पुस्तकें विहित करने पर यूनानी महाविद्यालय चिकित्सकों को चिकित्सीय/शल्य चिकित्सा के मामलों को सक्षमता से निपटने में समर्थ बना सकेंगे।

यह निर्णय लिया गया कि निम्न सदस्यों की उप-समिति कामिले-तिब्ब-ओ-जराहत पाठ्यक्रम के लिए पाठ्य पुस्तकें अद्यतन करे-

1. हकीम एम॰ ए॰ लारी
2. हकीम सैयद शाजी हैदर
3. डा॰ एम॰ एस॰ गुप्ता

केन्द्रीय परिषद ने संकल्प लिया कि प्रत्येक विश्वविद्यालय जिससे तिब्बिया महाविद्यालय सम्बद्ध है में पृथक रूप से यूनानी चिकित्सा संकाय अथवा आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्सा संकाय होना चाहिए।

यूनानी महाविद्यालयों का परिदर्शन

यूनानी तिब्ब में स्नातकीय शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के द्वारा विहित न्यूनतम स्तरों एवं अपेक्षाओं के अनुरूप न्यूनतम स्तरों एवं अपेक्षाओं के निर्धारण हेतु निम्न यूनानी महाविद्यालय का परिदर्शन किया गया-

हमदर्द तिब्बी महाविद्यालय (जामिया हमदर्द) नई दिल्ली 31.3.93 स्नातकीय

सिद्ध

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि सिद्ध स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के द्वारा अनुमोदित सिरप्पु मरूथुवम और कुझनथई मस्थुवम विषयों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 36 के अधीन यथा अपेक्षित स्वीकृति के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजा गया था। मंत्रालय ने अपने पत्रांक वी 26017/1/88-ए॰ ई॰ दिनांक 9-10-92 के द्वारा निम्न सूचित किया :-

1. ऊपर उल्लिखित दोनों पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष के अन्त में चार प्रश्न-पत्रों की परीक्षा होगी। दोनों पाठ्यक्रम में जीव-रसायन, जीव भौतिकी, सूक्ष्म जीव विज्ञान और रोग विज्ञान सहित मूल सिद्धान्त (आधुनिक) निहित है।
2. तृतीय वर्ष के अन्त में अन्तिम परीक्षा में चार प्रश्न पत्र हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रथम पाठ्यक्रम में केवल आधुनिक विकलांग विज्ञान है और द्वितीय पाठ्यक्रम में आधुनिक कौमारभृत्य है।
3. जहां तक हमें ज्ञात है आयुर्वेद अथवा यूनानी के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ऐसे कोई प्रश्न-पत्र अथवा पाठ्यक्रम भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के द्वारा अनुमोदित नहीं है।

यह अनुरोध किया गया कि आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकोत्तर अध्ययन के ऐसे प्रश्न-पत्रों और पाठ्यक्रमों के बारे में स्पष्टीकरण भेजा जाय ताकि एकरूपता बनाई जाय अन्यथा इससे आयुर्वेद और यूनानी छात्रों में उलझन हो जाएगी। इस सम्बन्ध मे यह भी अंकित किया गया कि आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकोत्तर अध्ययन में जैसा कि ऊपर उल्लिखित है ऐसा कोई प्रश्न-पत्र अथवा पाठ्यक्रम नहीं है। केन्द्रीय परिषद ने प्रकरण पर काफी विवाद के पश्चात् सिद्ध स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अधीन सिरप्पु मरूथुवम और कुझनथई मरूथुवम के विवरण को केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित और भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत आयुर्वेद एवं यूनानी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के अनुरूप संशोधित किया।

केन्द्रीय परिषद ने सिद्ध मरूथुवम अरिग्नर (बैचलर आफ सिद्ध मैडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण छात्रों के विशिखानुप्रवेश प्रशिक्षण के उद्देश्य के लिए निम्न जिला सिद्ध अस्पतालों को मान्यता दी :-

1. नेल्लाई काटावोमन जिला अस्पताल, तनकासी।
2. कामराज जिला अस्पताल, विरुधूनगर।
3. पासुमपान देवार जिला अस्पताल, शिवांगगई।
4. मदुरै जिला अस्पताल, पैरिकुलम।
5. सम्बु वरियर जिला अस्पताल तिरुवन्नामलाई।
6. थंजावुर जिला अस्पताल, कुम्बाकोनम।

सिद्ध समिति भारत सरकार से यह अनुरोध करने का संकल्प लेती है कि डा॰ केशव पिल्ले के निधन के कारण रिक्त स्थान पर डा॰ एम॰ ए॰ कुमार, सहायक परामर्शदाता (सिद्ध) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को नामजद किया जाय। इससे परिषद के पुनर्गठन तक सिद्ध पद्धति के उचित विकास में सहायता मिलेगी।

सामान्य

केन्द्रीय परिषद ने निर्णय लिया कि आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी में शोध कार्य के वर्तमान स्तर पर विमर्श करने और उन्हें स्नातकीय/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के पाठ्यविवरण में लागू करने के उपायों पर विचार करने हेतु केन्द्रीय परिषद के द्वारा आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी की शोध परिषदों और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी, गुजरात आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जामनगर, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान,जयपुर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़, उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे जैसे विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों और आयुर्वेद के स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजकीय सिद्ध चिकित्सा महाविद्यालय पलायमकोट्टैई के प्रतिनिधियों सहित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों, शिक्षा समिति (आयुर्वेद) एवं (यूनानी) विनियम समिति, पंजीयन समिति के सभापतियों की बैठक आयोजित की जाय।

केन्द्रीय परिषद ने निर्णय लिया कि स्नातकीय महाविद्यालय से रु॰ 5000/- प्रतिवर्ष और स्नातकोत्तर विभाग के लिए रु॰ 2000/- प्रति विभाग, अधिकतम रु॰ 10,000/- तक यदि महाविद्यालय में स्नातकोत्तर के पाँच अथवा इससे अधिक विभाग हों, से वार्षिक शुल्क के रूप लिए जावें।

आगे यह निर्णय लिया गया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रत्येक महाविद्यालय का दो वर्षों में कम से कम एक बार निरीक्षण हो। यह वर्ष 1992-93 से आगे लागू होगा।

भारतीय चिकित्सा पद्धति के नए आरम्भ हो रहे प्रत्येक महाविद्यालय से रु॰ 10,000/- निरीक्षण शुल्क के रूप मे लिए जाय और उसे अग्रिम तौर पर लिया जाय।

समिति ने अंकित किया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों के द्वारा एलोपैथी औषधियों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में दिल्ली में भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों में बड़ा आन्दोलन हुआ है। इस सम्बन्ध में यह भी अंकित किया गया कि केन्द्रीय परिषद ने 10 एवं 11 मई 1987 को सम्पन्न अपनी 17वीं बैठक में इस सम्बन्ध में निम्न प्रस्ताव पारित किया था-

केन्द्रीय परिषद की यह बैठक सर्वसम्मति से संकल्प लेती है कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 के खण्ड (ड) उपधारा 2 (1) में आधुनिक प्रगतियों शब्द को आधुनिक

वैज्ञानिक चिकित्सा नैदानिक गैरनैदानिक जीव विज्ञान और समय-समय पर की गई तकनीकी खोजों में हुई प्रगतियों के रूप में पढ़ा जाय और घोषित किया कि भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के द्वारा संचालित और मान्य पाठ्यक्रम और पाठ्यविवरण ऐसी आधुनिक प्रगतियों से पूरक हैं।'' प्रकरण पर आगे विस्तारपूर्वक विमर्श हुआ। भारतीय चिकित्सा पद्धति के चिकित्साभ्यासियों के द्वारा आधुनिक औषधियों के प्रयोग से सृजित विवाद के वर्तमान संकट को देखते हुए समिति का दृढ़ मत था कि भारतीय चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रम में शल्य प्रसूति और क्रियात्मक चिकित्सा का पर्याप्त ज्ञान है, वे आधुनिक औषधियों का प्रयोग करने में सक्षम हैं।

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि भारत सरकार ने केरल में आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु केन्द्रीय परिषद के अभिमत हेतु प्रस्ताव भेजा है।

केन्द्रीय परिषद के ध्यान में लाया गया कि समस्त राज्य सरकारों से पहले ही अनुरोध किया जा चुका है कि वे अपने राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति के विश्वविद्यालय की स्थापना करें।

यह निर्णय लिया गया कि भारत सरकार से अनुरोध किया जाय कि वह इसके लिए राज्य सरकार को निर्देश देवें। केरल सरकार को भी सूचित किया जाय कि यदि केरल सरकार अपने राज्य में भारतीय चिकित्सा पद्धति का विश्वविद्यालय स्थापित करने हेतु आगे आए तो केन्द्रीय परिषद को प्रसन्नता होगी।

केन्द्रीय परिषद ने संकल्प किया कि चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 के अधीन नहीं लाया जा सकता, क्योंकि चिकित्सा व्यवसाय की पहुँच हमेशा रोगी के हित के लिए है। आपात स्थिति में चिकित्सा सलाहकार को रोगी की जीवन रक्षा के लिए अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करना पड़ता है और सभी चिकित्साभ्यासी चिकित्सा संहिता से बंधे होते हैं, उनके निर्णय और विवेक को भारतीय चिकित्सा पद्धति स्तर जैसे किसी मापीय स्तर से मापा नहीं जा सकता। आगे भारत सरकार से अनुरोध करने का संकल्प लिया गया कि चिकित्सा व्यवसाय को उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, 1986 से बाहर किया जाय।

केन्द्रीय परिषद ने संकल्प किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अनुरोध किया जाय कि वे केन्द्रीय अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप समस्त राज्य अधिनियमों में संशोधन हेतु समस्त राज्य सरकारों को आवश्यक निर्देश जारी करे।

भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर

भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय रजिस्टर को तैयार करना और उसका रख-रखाव केन्द्रीय परिषद के मुख्य कार्यों में से एक है। भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की धारा 23 के अनुसार केन्द्रीय परिषद विहित पद्धति में भारतीय चिकित्सा का एक रजिस्टर रखवाएगी जो भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर कहलाएगा और जिनमें उन सभी व्यक्तियों के नाम होंगे जो तत्समय किसी भारतीय चिकित्सा के राज्य रजिस्टर में नामावलिगत हों और जो भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में समाविष्ट मान्यता प्राप्त चिकित्सा अर्हताओं में से कोई भी रखते हों।

आन्ध्र प्रदेश, आसाम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और दिल्ली का 1986 तक का भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर तैयार हो चुका है और भारत के राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है।

शेष राज्यों अर्थात बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान से सम्बन्धित केन्द्रीय रजिस्टर भी तैयार हो चुका है और भारत के राजपत्र में अधिसूचना के लिए भारत सरकार मुद्रणालय में भेजा जा चुका है।

उत्तर प्रदेश की राज्य परिषद के प्रारम्भ से वर्ष 1986 तक का पूरा राज्य रजिस्टर बार-बार अनुरोध करने/अनुस्मारक भेजने पर भी निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकरण पर 28-3-93 को सम्पन्न केन्द्रीय परिषद की बैठक में विचार हुआ था। यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार को स्पष्ट रुप से सूचित किया जाय कि जब तक केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित प्रपत्र के अनुसार पूरी सूचना सहित राज्य रजिस्टर प्राप्त नहीं हो जाता है केन्द्रीय रजिस्टर तैयार करने में कुछ नहीं किया जा सकता है।

केन्द्रीय परिषद ने जनवरी, 1987 से मार्च, 1991 तक के लिए भारतीय चिकित्सा का केन्द्रीय रजिस्टर तैयार करने का कार्य पहले से प्रारम्भ कर दिया है।

केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय परिषद के परामर्श पर आयुर्वेद की एक चिकित्सा अर्हता को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में समावेश के लिए अधिसूचित किया। वर्ष के दौरान अमरावती विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदत्त निम्न चिकित्सा अर्हता को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित किया गया :-

क्रम संख्या	प्रदाय निकाय का नाम	अर्हता	वर्ष
1.	अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती	आयुर्वेदाचार्य (बैचलर आफ आयुर्वेदिक मैडिसिन एण्ड सर्जरी)।	1989 से आगे

प्रशासन एवं वित्त

केन्द्रीय परिषद ने केन्द्रीय परिषद के पुस्तकालय से पुस्तकें जारी करने हेतु नियम अनुमोदित किये। केन्द्रीय परिषद ने केन्द्रीय परिषद के कार्यालय के लिए निम्न सदस्यों से सन्निहित विभागीय पदोन्नति समिति का गठन किया :-

1. अध्यक्ष, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
2. उपाध्यक्ष, (आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी)
3. डा॰ रामप्रकाश गुप्ता

4. डा॰ के॰ पलानीचामी
5. आचार्य राजकुमार जैन, सचिव

केन्द्रीय परिषद ने अंकित किया कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपने पत्रांक वी 26011/5/86-एम॰ डी॰ दिनांक 8-11-91 के द्वारा भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद के तकनीकी अधिकारियों को चिकित्साभ्यास बन्दी भत्ता देना स्वीकृत किया।

केन्द्रीय परिषद ने संकल्प किया कि भारत सरकार से वेतनमान रु॰ 2200-4000 में सहायक निबन्धक सिद्ध का पद शीघ्र सृजित करने और उस पर सिद्ध शिक्षा से तकनीकी कार्यों को देखने के लिए यथाशीघ्र सिद्ध पद्धति का तकनीकी अधिकारी नियुक्त करने का अनुरोध किया जाय, क्योंकि सारी शब्दावली तमिल में है।

केन्द्रीय परिषद एक लघु संगठन है। तथापि भारत सरकार के द्वारा विभिन्न वर्गों के आरक्षण के लिए हर सम्भव सावधानी बरती गई है। केन्द्रीय परिषद के 35 कर्मचारियों में विभिन्न वर्गों के लिए किया गया आरक्षण निम्न हैं :-

अनुसूचित जाति	4
अनुसूचित जन जाति	2
विकलांग	2
भूतपूर्व सैनिक	1

आय के स्रोत

वर्ष 1992-93 के लिए केन्द्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित और सरकार के द्वारा जारी/स्वीकृत बजट प्राक्कलन और संशोधित प्राक्कलन निम्न हैं :-

		गैर योजना	योजना
		रुपया लाख	रुपया लाख
1.	बजट प्राक्कलन 1992-93 (परिषद के द्वारा अनुमोदित)	33.21	51.00
2.	बजट प्राक्कलन 1992-93 (मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत)	16.00	15.00
3.	संशोधित प्राक्कलन 1992-93 (परिषद के द्वारा अनुमोदित)	19.61	15.00
4.	संशोधित प्राक्कलन 1992-93 (मंत्रालय के द्वारा स्वीकृत)	18.00	15.00
5.	मंत्रालय द्वारा वर्ष 1992-93 में जारी सहायता अनुदान	17-04	शून्य

कार्यालय : महानिदेशक लेखा परीक्षा,
केन्द्रीय राजस्व,
नई दिल्ली-2

सं॰ ओ॰ ए॰ डी॰ 4/एस॰ ए॰ आर॰/सी॰ सी॰ आई॰ एम॰/93-94 दिनांक : 3-2-94

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
निर्माण भवन
नई दिल्ली।

विषय :-वर्ष 1992-93 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

महोदय,

मैं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र सहित संसद के पटल पर रखने के लिए संलग्न करता हूँ।

संसद को प्रस्तुत दस्तावेजों की दो प्रतियाँ, उस तिथि को दर्शाते हुए जब ये संसद को प्रस्तुत किए गए थे, इस कार्यालय को तथा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय को भेजी जाए।

कृपया पावती भेजें।

भवदीय
हस्ता॰/-
निदेशक लेखा परीक्षा
(निरीक्षक-I)

अनुलग्नक :-यथोपरि

कार्यालय : महानिदेशक लेखा परीक्षा,
केन्द्रीय राजस्व,
नई दिल्ली-2

सं॰ ओ॰ ए॰ डी॰ 4/एस॰ए॰ आर॰/सी॰ सी॰ आई॰ एम॰/93-94/638 दिनांक : 3-2-94

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र सहित सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, 1-ई/6, स्वामी रामतीर्थ नगर (झण्डेवालान प्रसार), नई दिल्ली-110055 को उनके पत्र सं॰ 10-13/93 लेखा दिनांक 24-1-94 के संदर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है। वह तिथि जिसकी शासी निकाय द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखों पर विचार किया गया है, संबंधित दस्तावेजों सहित इस कार्यालय को सूचित किया जाए। प्रमाणित वार्षिक लेखे के हिन्दी रूपान्तर की पाँच प्रतियाँ भी शीघ्र इस कार्यालय को भेजी जाएं।

निदेशक लेखा परीक्षा
निरीक्षण

सं॰ओ॰ए॰4/एल॰ए॰ आर॰/सी॰ सी॰ आई॰ एम॰/93-94 दिनांक : 3-2-94

प्रति प्रमाणित वार्षिक लेखे की प्रति उसके लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र सहित श्री सरूप सिंह, प्रशासन अधिकारी (रिपोर्ट ए॰ बी॰) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली को मुख्यालय कार्यालय के पत्र सं॰ 8-9-रिपोर्ट (स्वा॰नि॰)298-93 दिनांक 13-1-94 के संदर्भ में अग्रेषित की जाती है।

मुख्यालय की टिप्पणियों/अभ्युक्तियों के उत्तरों से समाविष्ट विवरण संलग्न हैं।

यह नि॰ ले॰ प॰ के॰ रा॰-1 के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

अनुलग्नक :- यथोपरि

निदेशक लेखा परीक्षा
निरीक्षण

वर्ष 1992-93 के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद नई दिल्ली के लेखाओं का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

1. **परिचय**

भारतीय चिकित्सा पद्धति के पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षा के न्यूनतम मानक विहित करने भारतीय चिकित्सा की केन्द्रीय पंजिका का अनुरक्षण आदि और उससे सम्बन्धित अन्य विषयों के प्रयोजन से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1970 के अधीन 1971 में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद की स्थापना की गई थी।

परिषद को वित्त की पूर्ति मुख्यत: भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से होती है। परिषद को वर्ष 1992-93 के दौरान गैर-योजना के अधीन 17.04 लाख रुपए की अनुदान राशि प्राप्त हुई है। परिषद के विनियम, 1976 के अधीन नियम 86 के अनुसार परिषद के लेखाओं की लेखा परीक्षा नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम, 1971 की धारा 19 (2) अधीन की जाती है।

लेखाओं पर अभिमत

2. **रु 1.15 लाख के स्फीत व्यय का चित्रण**

परिषद की कार्यकारिणी समिति के अक्टूबर 1992 को हुए निर्णय के अनुसार भारतीय चिकित्सा पद्धति के समस्त महाविद्यालयों को स्नातक के लिए रु॰ 5,000/- प्रति वर्ष और स्नातकोत्तर के प्रत्येक विषय के लिए प्रति वर्ष रु॰ 2,000/- प्रतिवर्ष परिषद में जमा करवाने थे।

इस भांति एकत्रित राशि को बचत खाता के पृथक लेखा में रखा जाना था और भारतीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा एवं संस्थाओं की परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप न्यूनतम स्तरों के आवधिक निर्धारण हेतु परिदर्शकों द्वारा महाविद्यालयों के आवधिक परिदर्शन हेतु इसका उपयोग किया जाना था।

वार्षिक लेखाओं की जाँच पर ज्ञात हुआ कि परिषद ने वर्ष 1992-93 के दौरान मान्यता शुल्क के रुप में 2.87 लाख रु॰ प्राप्त किए जिसमें से 1.15 लाख रुपए प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा में भुगतान में और आय एवं व्यय लेखा लेखा के व्यय में भारतीय चिकित्सा पद्धति महाविद्यालयों से प्राप्त मान्यता शुल्क शीर्ष के अधीन दर्शाए। चूंकि 1.15 लाख रुपये की राशि बैंक में पृथक बचत खाता में शेष थी। अत: इस राशि को प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा में अन्तिम शेष में दर्शाया जाना चाहिए था। रु 1.15 लाख को व्यय के रुप में दर्शाने के कारण प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा में अन्तिम शेष को कम करके बतलाया गया है और व्यय से आय की अधिकता की न्यूनोक्ति है और आय एवं व्यय लेखा में इस सीमा तक व्यय को अधिक करके बतलाया गया है।

परिषद द्वारा लेखा परीक्षा को दिखाए गए संशोधित लेखा में (जनवरी, 1994) इस त्रुटि को दूर कर दिया गया।

3. पैंशन एवं निवृत्ति उपदान योजना

परिवार पैंशन योजना युक्त पैंशन एवं निवृत्ति उपदान योजना परिषद में अप्रैल 1983 से प्रारम्भ की गई थी। योजना की शर्तों के अनुसार पैंशन निधि परिषद के पास पहले से ही उपलब्ध अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान और एतद्विध निधियों के निवेश पर उपार्जित ब्याज सहित निधियों से निर्मित किया जाना था और केन्द्र सरकार के द्वारा इसके संवर्धन के लिए कोई अतिरिक्त अनुदान निर्गमित नहीं किया जाना था। परिषद ने तथापि 1983-84 के दौरान रु 3.76 लाख 1992-93 के दौरान रु 0.57 लाख सहित नियोक्ता के अंशदान के रुप में स्थानान्तरित किए। मंत्रालय के द्वारा निधि स्थानान्तरण को नियमित करने हेतु कोई विशिष्ट स्वीकृति जारी नहीं की गई है। वर्ष 1983-84 से 1991-92 तक की अवधि के दौरान निधियों का अनियमित स्थानान्तरण पर वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90,1990-91 और 1991-92 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में टिप्पणी की गई थी।

हस्ताक्षर
महानिदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

स्थान-नई दिल्ली

तिथि

लेखा परीक्षा प्रमाण-पत्र

मैंने भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद, नई दिल्ली के 31 मार्च 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष के अदायगी एवं भुगतान का लेखा/आय एवं व्यय लेखा और 31 मार्च 1993 को यथा तुलन पत्र की जांच कर ली है। मैंने सभी अपेक्षित सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं तथा संलग्न लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अभ्युक्तियों के अधीन रहते हुए अपनी लेखा परीक्षा के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय तथा मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा मुझे दिए गए स्पष्टीकरण तथा परिषद की बहियों में दर्शाए गए उल्लेखों के अनुसार ये लेखा और तुलन पत्र उपयुक्त रूप से तैयार किए गए हैं और परिषद के कार्यकलापों का सही उचित रूप प्रस्तुत करते हैं।

ह०/
मुख्य निदेशक लेखा परीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

स्थान-नई दिल्ली

तिथि :

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

प्राप्तियां	गैर योजना राशि	गैर योजना राशि	योजना राशि	योजना राशि
1-4-92 को आय शेष				
हस्तगत रोकड़	8,780.75		-	
बैंक में नकद		90,222.70	1,36,580.25	
हस्तगत डाक टिकटें	64.10		-	
फ्रैंकिग मशीन में डाक टिकटें	1,103.99	1,00,171.54		1,36,580.25
वर्ष 1992-93 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त सहायक अनुदान।		17,04,000.00		
सहायक अनुदान के अतिरिक्त आय				
भा॰चि॰प॰महाविद्यालयों से प्राप्त मान्यता शुल्क	2,87,000.00			
रद्दी की बिक्री	280.00			
के॰स॰स्वा॰योजना सुविधा	466.00			
समान्य भविष्य निधि का ब्याज	69,038.93			
अग्रिम पर कर्मचारियों से ब्याज	986.00	3,57,770.93	7,260.00	7,260.00
अग्रिमों की वसूली				
पर्व अग्रिम	10,840.00			
स्कूटर अग्रिम	15,140.00			4,200.00
गृह निर्माण अग्रिम	-	25,980.00	21,200.00	25,400.00
विविध प्रेषण				
सामान्य भविष्य निधि	2,38,389.00			
आयकर	12,203.00	2,50,592.00		
अग्रेनीत शेष		24,38,514.47		1,69,240,25

अदायगी	गैर योजना राशि	गैर योजना राशि	योजना राशि	योजना राशि
1. वेतन एवं भत्ते				
अधिकारियों का वेतन	51,625.00			
कर्मचारियों का वेतन	5,01,469.00			
चिकित्साभ्यास बन्दी भत्ता	22,955.00			-
स्नातकोत्तर भत्ता	1,452.00			
मंहगाई भत्ता	4,53,940.00			
गृहभाटक भत्ता	1,21,561.00			
नगर प्रतिकर भत्ता	20,960.00			
धुलाई भत्ता	1,440.00			
वाहन प्रभार भत्ता	8,197.00			
अध्ययन शुल्क प्रतिपूर्ति	2,100.00			
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	22,350.60			
के॰ स॰ स्वा॰ योजना सुविधा	13,483.00			
अवकाश यात्रा रियायत	4,441.50			
बोनस	33,829.00			
अवकाश भुगतान	48,449.00			
अध्यक्ष के निजी सचिव का वेतन	6,000.00	13,14,252.10	-	-
2. (क) आकस्किम व्यय				
आवर्ती व्यय				
लेखन सामग्री	-		27,536.70	
डाक एवं तार	11,732.74		-	
विद्युत प्रभार	12,124.00			
जल प्रभार	150.00			
भवन का किराया	56,400.00			
दूरभाष	46,867.00			
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	2,937.00			
लेखा परीक्षा शुल्क	-		24,320.00	
मुद्रण व्यय		-		3,396.00
यूनीफार्म प्रभार	5,741.80			
कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण	12,758.60			
विविध प्रभार	28,309.03		4,500.00	
वाहन प्रभार	4,524.00			
विधि सम्बन्धी व्यय	-		11,359.00	
प्रकाशन	-	1,81,544.17	3,480.00	74,591.70
अग्रेनीत शेष		14,95,796.27		74,591.70

पीछे से लाया गया शेष	24,38,514.47	1,69,240.25
कुल	24,38,514.47	1,69,240.25

पीछे से लाया गया शेष		14,95,796.27		74,591.70
ख-अनावर्ती व्यय				
पुस्तकालय के लिए पुस्तकें	464.00		-	
कार्यालय उपकरण	539.55	1,003.55	-	-
3. यात्रा व्यय				
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	14,142.80		-	
सचिव/कर्मचारी	17,385.70		-	
परिषद के सदस्य	1,75,846.00		-	
कार्यकारिणी समिति के सदस्य	79,297.40		-	
शिक्षा समिति आयुर्वेद के सदस्य	10,683.00		-	
शिक्षा समिति यूनानी के सदस्य	14,143.00			
सहा० नि० आय० के पद हेतु				
साक्षात्कार के लिए बुलाए अभ्यर्थी	684.00		-	
विनियम समिति के सदस्य	-		37,410.00	
पंजीयन समिति के सदस्य	-		21,779.00	
परिदर्शन समिति के सदस्य	-	3,12,181.90	33,845.60	93,034.60
4. अग्रिम की अदायगी				
पर्व अग्रिम			13,200.00	
5. विविध प्रेषण				
सामान्य भविष्य निधि	2,38,389.00			
आयकर	12,203.00	2,50,592.00		
6. पैंशन निधि में अंशदान		56,911.00		
7. सामान्य भविष्य निधि में ब्याज		85,562.00		
8. 31-3-93 को अन्त शेष				
हस्तगत रोकड़	5,496.00			
बैंक के चालू खाते में नकद	1,02,771.25	1,613.95		
बैंक के बचत खाते में नकद	1,15,000.00	2,23,267.75	-	1,613.95
कुल		24,38,514.47		1,69,240.25

हस्ताक्षर
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

भारतीय चिकित्सा

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष

व्यय	गैर योजना राशि	गैर योजना राशि	योजना राशि	योजना राशि
1. वेतन एवं भत्ते				
अधिकारियों का वेतन	51,625.00			
कर्मचारियों का वेतन	5,01,469.00			
चिकित्साभ्यास बन्दी भत्ता	22,955.00			
स्नातकोत्तर भत्ता	1,452.00			
मंहगाई भत्ता	4,53,940.00			
गृहभाटक भत्ता	1,21,561.00			
नगर प्रतिकर भत्ता	20,960.00			
धुलाई भत्ता	1,440.00			
वाहन भत्ता	8,197.00			
अवकाश भुगतान	48,449.00			
अध्ययन शुल्क प्रतिपूर्ति	2,100.00			
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	22,350.60			
के॰स॰स्वा॰ योजना	13,483.00			
अवकाश यात्रा रियायत	4,441.50			
बोनस	33,829.00			
अध्यक्ष के निजी सचिव का पारिश्रमिक	6,000.00	13,14,252.10		
2. आकस्मिक व्यय				
लेखन सामग्री	-		27,536.70	
डाक एवं तार	11,732.74		-	
विद्युत प्रभार	12,124.00		-	
जल प्रभार	150.00		-	
भवन का किराया	56,400.00		-	
दूरभाष	46,867.00		-	
समाचार पत्र एवं आवधिक पुस्तकें	2,937.00		-	
लेखा परीक्षा शुल्क	-		24,320.00	
मुद्रण व्यय		-		3,396.00
यूनीफार्म प्रभार	5,741.80	-		
कार्यालय उपकरणों का अनुरक्षण	12,758.60		-	
विविध व्यय	28,309.03		4,500.00	
वाहन प्रभार	4,524.00		-	
विधि सम्बन्धी व्यय			11,359.00	
प्रकाशन	-	1,81,544.17	4,45,400.00	5,16,511.70
अग्रेनीत शेष		14,95,796.27		5,16,511.70

केन्द्रीय परिषद

के लिए आय और व्यय का लेखा

आय	गैर योजना राशि	गैर योजना राशि	योजना राशि	योजना राशि
वर्ष 1992-93 के दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली से प्राप्त सहायक अनुदान	17,04,000.00			
घटाएं पूजीगत अनुदान	1,003.55	17,02,996.45		
विविध प्राप्तियाँ				
रद्दी की बिक्री	280.00			
के॰ स॰ स्वा॰ योजना सुविधा	466.00			
सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	69,038.93			
अग्रिम पर कर्मचारियों से प्राप्त ब्याज	986.00	70,770.93	7,260.00	7,260.00
मान्यता शुल्क	2,87,000.00			
आय से व्यय की अधिकता				6,02,286.30
		20,60,767.38		6,09,546.30

पीछे से लाया गया शेष		14,95,796.27		5,16,511.70
3. यात्रा सम्बन्धी व्यय				
अध्यक्ष/उपाध्यक्ष	14,142.80			
सचिव/कर्मचारी	17,385.70			
परिषद के सदस्य	1,75,846.00			
कार्यकारिणी समिति के सदस्य	79,297.40			
शिक्षा समिति आयुर्वेद के सदस्य	10,683.00			
शिक्षा समिति यूनानी के सदस्य	14,143.00			
सहायक निबन्धक आयुर्वेद के पद के लिए साक्षात्कार हेतु बुलाए गए अभ्यर्थी	684.00			
विनियम समिति के सदस्य	-		37,410.00	
पंजीयन समिति के सदस्य	-		21,779.00	
परिदर्शन समिति के सदस्य	-	3,12,181.90	33,845.60	93,034.60
4. पैंशन निधि में अंशदान	-	56,911.00		
5. सामान्य भविष्य निधि का ब्याज	-	85,562.00		
6. व्यय से आय की अधिकता	-	1,10,316.21		
कुल		20,60,767.38		6,09,546.30

पीछे से लाया गया शेष	20,60,767.38	6,09,546.30
कुल	20,60,767.38	6,09,546.30

हस्ताक्षर

सचिव

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

भारतीय चिकित्सा

31 मार्च, 1993 को

दायित्व	गैर योजना राशि	गैर योजना राशि	योजना राशि	योजना राशि
सामान्य आरक्षित				
स्थापना के दिन प्राप्त		20,080.15		
परिसंपत्तियां				
शासकीय अनुदान से प्राप्त				
परिसंपत्तियां				
गत तुलन पत्र के अनुसार	1,99,878.75		5,60,906.32	
जोड़े-पूँजीगत अनुदान	1,003.55	2,00,882,30	-	5,60,906.32
उपकुल		2,20,962.45		5,60,906.32
व्यय से आय की अधिकता				
गत तुलन पत्र के अनुसार	1,42,419.54		5,60,906.32	
जोड़े वर्ष के दौरान व्यय से आय की अधिकता	1,10,316.21	2,52,735,75		-
प्रकाशन				
गत तुलन पत्र के अनुसार			4,50,880.00	
घटाएं वर्ष के दौरान समायोजित			3,480.00	
			4,47,400.00	
जोड़े वर्ष के दौरान जोड़ा गया		-	4,45,400.00	8,92,800.00
सामान्य भविष्य निधि		9,22,988.00		-
भविष्य निधि		5,53,336.64		-
कुल		19,50,022.84		14,53,706.32

केन्द्रीय परिषद

को यथा तुलन-पत्र

परिसंपत्तियां	गैर योजना राशि	गैर योजना राशि	योजना राशि	योजना राशि
(क) अनावर्तक प्रकृति				
1. फर्नीचर एवं उपस्कर				
गत तुलन पत्र के अनुसार		73,541.65		42,687.76
2. पुस्तकालय के लिए पुस्तकें				
गत तुलन पत्र के अनुसार	29,674.91			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	464.00	30,138.91		-
3. वातानुकूलित उपकरण				
गत तुलन पत्र के अनुसार		22,340.73		26,789.80
4. कार्यालय उपकरण				
गत तुलन पत्र के अनुसार	94,401.61			4,91,428.76
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	539.55	94,941.16		---------
उपकुल		2,20,962.45		5,60,906.32
(ख) आवर्ती प्रकृति				
दूरभाष		9,228.00		19,960.00
ऋण एवं अग्रिम				
1. (पर्व) अग्रिम				
गत तुलन पत्र के अनुसार	6,880.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	13,200.00			
	20,080.00			
वर्ष के दौरान की गई वसूली	10,840.00	9,240.00		-
2. स्कूटर अग्रिम				
गत तुलन पत्र के अनुसार	26,140.00		5,200.00	
वर्ष के दौरान की गई वसूली	15,140.00	11,000.00	4,200.00	1,000.00
3. गृह निर्माण अग्रिम				
गत तुलन पत्र के अनुसार			61,300.00	
वर्ष के दौरान की गई वसूली			21,200.00	40,100.00
गत तुलन पत्र के अनुसार			2,27,839.75	
आय से व्यय की अधिकता				
वर्ष के दौरान जोड़ा गया			6,02,286.30	8,30,126.05
31-3-93 को अन्तिम शेष				
हस्तगत रोकड़	5,496.50		-	
बैंक के चालू खाते में नकद	1,02,771.25		1,613.95	
बैंक के बचत खाते में नकद	1,15,000.00	2,23,267.75	-	-
सामान्य भविष्य निधि		9,22,988.00		-
पैंशन निधि		5,53,336.64		-
कुल		19,50,022.84		14,53,706.32

भारतीय चिकित्सा सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्राप्तियां	राशि
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 1-4-93 को आद्य शेष	26,595.00
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	1,56,879.00
कर्मचारियों से ऋण की वसूली	81,510.00
बचतखाता मासिक आय पत्र और विशिष्ट जमा योजना पर बैंक से अर्जित ब्याज	69,038.93
1992-93 में परिषद से प्राप्त ब्याज की राशि	85,562.00
मासिक आय पत्र की परिपक्वता पर	1,10,000.00
कुल	5,29,584.93

केन्द्रीय परिषद निधि

प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान		राशि
कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया ऋण		78,850.00
कर्मचारियों को अन्तिम निकासी		
अंशदान	97,282.00	
ब्याज	66.00	97,348.00
परिषद को स्थानान्तरित ब्याज		69,038.93
मासिक आय प्रमाण-पत्र में विनियोजन		2,35,000.00
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 31-3-93 को अन्त शेष		49,348.00
कुल		5,29,584.93

हस्ताक्षर

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
सामान्य भविष्य निधि
31 मार्च, 1993 को यथा तुलना पत्र

1991-92	दायित्व	राशि	राशि
6,20,302.00	गत तुलन पत्र के अनुसार	7,77,895.00	
	वर्ष के दौरान जोड़ा गया		
1,34,479.00	अंशदान	1,56,879.00	
68,972.00	ब्याज	85,562.00	
8,23,753.00		10,20,336.00	
45,858.00	घटाएं अन्तिम निकासी	97,348.00	9,22,988.00
7,77,895.00	कुल		9,22,988.00

1991-92	परिसंपतियां	राशि	राशि
	1. विनियोजन		
	(क) विशेष जमा योजना		
1,70,500.00	गत् तुलन-पत्र के अनुसार		1,70,500.00
1,70,500.00			
	(ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र		
75,000.00	गत् तुलन-पत्र के अनुसार		75,000.00
75,000.00			
	(ग) मासिक आय प्रमाण-पत्र		
2,75,000.00	गत् तुलन-पत्र के अनुसार	4,10,000.00	
1,75,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,35,000.00	
4,50,000.00		6,45,000.00	
40,000.00	घटाएं-विमोचित	1,10,000.00	
4,10,000.00			5,35,000.00
	2. कर्मचारियों को ऋण		
96,040.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	95,800.00	
78,575.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	78,850.00	
1,74,615.00		1,74,650.00	
78,815.00	वर्ष के दौरान की गई वसूली	81,510.00	93,140.00
95,800.00			
26,595.00	3. बैंक आफ इण्डिया के बचत		
26,595.00	खाते में 31-3-1993 को अन्तिम शेष		49,348.00
7,77,895.00	कुल		9,22,988.00

हस्ताक्षर
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
नई दिल्ली-110055

भारतीय चिकित्सा पैंशन एवं

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्राप्तियां		राशि
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 1-4-92 को आद्य शेष		61,879.02
अंशदान		56,911.00
बचत खाता, मासिक आय प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर बैंक और डाकखाना से अर्जित ब्याज		89,889.62
विनियोजन परिपक्वता		
1. मासिक आय प्रमाण पत्र	1,47,000.00	
राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र	65,000.00	2,12,000.00
कुल		4,20,679.64

केन्द्रीय परिषद
ग्रेच्युटी निधि
प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान	राशि
मासिक आय प्रमाण पत्र में विनियोजन	2,40,000.00
श्री एस॰ के सिंह को पैंशन एवं ग्रेच्युटी	1,62,343.00
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 31-3-93 को अन्तिम शेष	18,336.64
कुल	4,20,679.64

हस्ताक्षर
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

भारतीय चिकित्सा पैंशन एवं 31 मार्च, 1993 को

1991-92	दायित्व	राशि	राशि
4,31,404.87	गत तुलन पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	5,68,879.02	
57,165.00	अंशदान	56,911.00	
80,309.15	ब्याज	89,889.62	
5,68,879.02		7,15,679.64	
	घटाएं श्री एस॰ के॰ सिंह को	1,62,343.00	5,53,336.64
5,68,879.02	किया गया भुगतान		
5,68,879.02	कुल		5,53,336.64

केन्द्रीय परिषद ग्रेच्युटी निधि यथा तुलना पत्र

1991-92	दायित्व	राशि	राशि
	विनियोजन		
	1. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र		
1,20,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	65,000.00	
55,000.00	घटाएं विमोचित	65,000.00	शून्य
65,000.00			
	2. मासिक आय प्रमाण पत्र		
3,06,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	4,42,000.00	
1,79,000.00	घटाए-विमोचन	1,47,000.00	
1,27,000.00		2,95,000.00	
3,15,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,40,000.00	5,35,000.00
4,42,000.00			
61,879.02	बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में		18,336.64
61,879.02	31-3-93 को अन्तिम शेष		
5,68,879.02	कुल		5,53,336.64

हस्ताक्षर
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
नई दिल्ली-110055

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

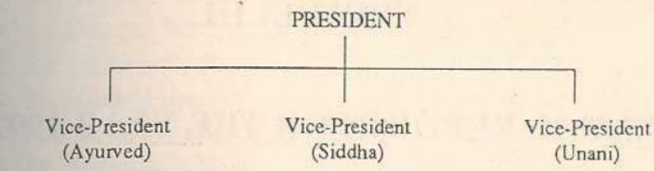

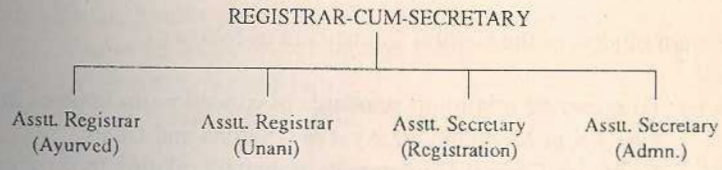

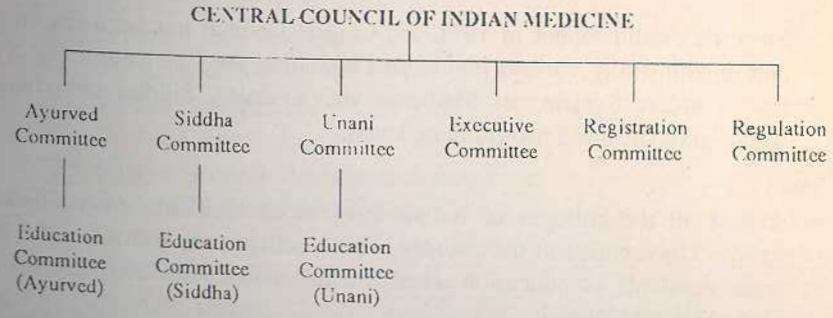

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1992-93

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The first Council was constituted in 1971. The Council was reconstituted in 1984 vide Government of India Notification in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3, Sub-Section (ii) dated 7.5.1984.

The main objects of the Central Council are as follows:

(i) To prescribe minimum standards of education for courses in Indian Systems of Medicine viz.Ayurved, Siddha and Unani.
(ii) To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.
(iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
(iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani at Under-graduate and Post-graduate levels.

Almost all the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the country. These colleges are following the minimum standards of education which include curriculum and syllabus prescribed by the Council.

COMPOSITION OF THE COUNCIL

The following are the members of the Central Council:

AYURVED

1. Dr. D. Radhakrishnamurthy
2. Dr. P.B. Satkopacharya
3. Dr. Sukumar Bhattacharjee
4. Dr. Deovrat Narayan Singh
5. Dr. Maheshwar Pandey
6. Dr. Indra Mohan Jha
7. Dr. Alakh Narayan Singh
8. Dr. Janardan N.Dave
9. Dr. Dinesh R.Patel
10. Dr. Krishna Chandra Sharma
11. Dr. Gulshan Rai Sharma
12. Kvj. B.N. Gupt
13. Vaidya Gauri Shankar Dwivedi
14. Vaidya Panchayya Hosmath
15. Dr. A.C. Rahula Kumar
16. Dr. K. Madhavan Nair
17. Vaidya Pt, Mahesh Dut Sharma Shastri
18. Dr. Prasanna Kumar Jain
19. Vaidya Harikrishan S. Joshi
20. Dr. S.I. Nagral
21. Dr. Swapneshwar Panda
22. Vaidya Parmod Kumar Tewari
23. Vaidya Madan Mohan Pushkarna (Expired in February 1993)
24. Vaidya Udai Shankar Sharma
25. Vaidya Gokulendra Sharma
26. Dr. V. Narayanaswamy
27. Dr. Ram Prakash Gupta
28. Dr. Hukam Chand Sharma
29. Dr. Prem Dutt Sharma
30. Dr. Ananda Roy
31. Vaidya K.K. Pandey
32. Dr. K.K. Zala
33. Vaidya Shamlal Vashishtha (Shastri)
34. Dr. L. Chikkarajanna
35. Dr. S.V. Savadi
36. Dr. Sachchidanand Upadhyay
37. Dr. A.K. Dulani

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
31 मार्च, 1993 को यथा तुलन-पत्र

दायित्व	गैर योजना राशि	गैर योजना राशि	योजना राशि	योजना राशि
सामान्य आरक्षित				
स्थापना के दिन प्राप्त		20,080.15		
परिसंपत्तियां				
शासकीय अनुदान से प्राप्त				
परिसंपत्तियां				
गत तुलन पत्र के अनुसार	1,99,878.75		5,60,906.32	
जोड़े-पूँजीगत अनुदान	1,003.55	2,00,882,30	-	5,60,906.32
उपकुल		2,20,962.45		5,60,906.32
व्यय से आय की अधिकता				
गत तुलन पत्र के अनुसार	1,42,419.54		5,60,906.32	
जोड़े वर्ष के दौरान व्यय से आय की अधिकता	1,10,316.21	2,52,735,75		-
प्रकाशन				
गत तुलन पत्र के अनुसार			4,50,880.00	
घटाएं वर्ष के दौरान समायोजित			3,480.00	
			4,47,400.00	
जोड़े वर्ष के दौरान जोड़ा गया		-	4,45,400.00	8,92,800.00
सामान्य भविष्य निधि		9,22,988.00		-
भविष्य निधि		5,53,336.64		-
कुल		19,50,022.84		14,53,706.32

परिसंपत्तियां	गैर योजना राशि	गैर योजना राशि	योजना राशि	योजना राशि
(क) अनावर्तक प्रकृति				
1. फर्नीचर एवं उपस्कर				
गत तुलन पत्र के अनुसार		73,541.65		42,687.76
2. पुस्तकालय के लिए पुस्तकें				
गत तुलन पत्र के अनुसार	29,674.91			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	464.00	30,138.91		-
3. वातानुकूलित उपकरण				
गत तुलन पत्र के अनुसार		22,340.73		26,789.80
4. कार्यालय उपकरण				
गत तुलन पत्र के अनुसार	94,401.61			4,91,428.76
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	539.55	94,941.16		---------
उपकुल		2,20,962.45		5,60,906.32
(ख) आवर्ती प्रकृति				
दूरभाष		9,228.00		19,960.00
ऋण एवं अग्रिम				
1. (पर्व) अग्रिम				
गत तुलन पत्र के अनुसार	6,880.00			
वर्ष के दौरान जोड़ा गया	13,200.00			
	20,080.00			
वर्ष के दौरान की गई वसूली	10,840.00	9,240.00		-
2. स्कूटर अग्रिम				
गत तुलन पत्र के अनुसार	26,140.00		5,200.00	
वर्ष के दौरान की गई वसूली	15,140.00	11,000.00	4,200.00	1,000.00
3. गृह निर्माण अग्रिम				
गत तुलन पत्र के अनुसार			61,300.00	
वर्ष के दौरान की गई वसूली			21,200.00	40,100.00
गत तुलन पत्र के अनुसार			2,27,839.75	
आय से व्यय की अधिकता				
वर्ष के दौरान जोड़ा गया			6,02,286.30	8,30,126.05
31-3-93 को अन्तिम शेष				
हस्तगत रोकड़	5,496.50		-	
बैंक के चालू खाते में नकद	1,02,771.25		1,613.95	
बैंक के बचत खाते में नकद	1,15,000.00	2,23,267.75	-	-
सामान्य भविष्य निधि		9,22,988.00		-
पैंशन निधि		5,53,336.64		-
कुल		19,50,022.84		14,53,706.32

भारतीय चिकित्सा

सामान्य भविष्य

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लि

प्राप्तियां	राशि
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 1-4-93 को आद्य शेष	26,595.00
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	1,56,879.00
कर्मचारियों से ऋण की वसूली	81,510.00
बचतखाता मासिक आय पत्र और विशिष्ट जमा योजना पर बैंक से अर्जित ब्याज	69,038.93
1992-93 में परिषद से प्राप्त ब्याज की राशि	85,562.00
मासिक आय पत्र की परिपक्वता पर	1,10,000.00
कुल	5,29,584.93

CENTRAL COUNCIL OF IN
NEW DEL

ANNUAL REPORT F

COMPOSITION OF THE COUNCIL

e the members of the Central Council:

hakrishnamurthy
opacharya
hattacharjee
van Singh
dey

The Central Council
tuted under the Indian M
cil was constituted in
Government of Indi
II Section 3, Sub-S

The main obj

(i)

भारतीय चिकित्सा सामान्य भविष्य

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्राप्तियां	राशि
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 1-4-93 को आद्य शेष	26,595.00
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	1,56,879.00
कर्मचारियों से ऋण की वसूली	81,510.00
बचतखाता मासिक आय पत्र और विशिष्ट जमा योजना पर बैंक से अर्जित ब्याज	69,038.93
1992-93 में परिषद से प्राप्त ब्याज की राशि	85,562.00
मासिक आय पत्र की परिपक्वता पर	1,10,000.00
कुल	5,29,584.93

केन्द्रीय परिषद निधि

प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान		राशि
कर्मचारियों को स्वीकृत किया गया ऋण		78,850.00
कर्मचारियों को अन्तिम निकासी		
अंशदान	97,282.00	
ब्याज	66.00	97,348.00
परिषद को स्थानान्तरित ब्याज		69,038.93
मासिक आय प्रमाण-पत्र में विनियोजन		2,35,000.00
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 31-3-93 को अन्त शेष		49,348.00
कुल		5,29,584.93

हस्ताक्षर

भारतीय चिकित्सा
सामान्य भविष्य
31 मार्च, 1993 को

1991-92	दायित्व	राशि	राशि
6,20,302.00	गत तुलन पत्र के अनुसार	7,77,895.00	
	वर्ष के दौरान जोड़ा गया		
1,34,479.00	अंशदान	1,56,879.00	
68,972.00	ब्याज	85,562.00	
8,23,753.00		10,20,336.00	
45,858.00	घटाएं अन्तिम निकासी	97,348.00	9,22,988.00
7,77,895.00	कुल		9,22,988.00

केन्द्रीय परिषद
निधि
यथा तुलना पत्र

1991-92	परिसंपतियां	राशि	राशि
	1. विनियोजन		
	(क) विशेष जमा योजना		
1,70,500.00	गत् तुलन-पत्र के अनुसार		1,70,500.00
1,70,500.00			
	(ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र		
75,000.00	गत् तुलन-पत्र के अनुसार		75,000.00
75,000.00			
	(ग) मासिक आय प्रमाण-पत्र		
2,75,000.00	गत् तुलन-पत्र के अनुसार	4,10,000.00	
1,75,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,35,000.00	
4,50,000.00		6,45,000.00	
40,000.00	घटाएं-विमोचित	1,10,000.00	
4,10,000.00			5,35,000.00
	2. कर्मचारियों को ऋण		
96,040.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	95,800.00	
78,575.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	78,850.00	
1,74,615.00		1,74,650.00	
78,815.00	वर्ष के दौरान की गई वसूली	81,510.00	93,140.00
95,800.00			
26,595.00	3. बैंक आफ इण्डिया के बचत		
26,595.00	खाते में 31-3-1993 को अन्तिम शेष		49,348.00
7,77,895.00	कुल		9,22,988.00

हस्ताक्षर
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
नई दिल्ली-110055

भारतीय चिकित्सा
सामान्य भविष्य
31 मार्च, 1993 को

1991-92	दायित्व	राशि	राशि
6,20,302.00	गत तुलन पत्र के अनुसार	7,77,895.00	
	वर्ष के दौरान जोड़ा गया		
1,34,479.00	अंशदान	1,56,879.00	
68,972.00	ब्याज	85,562.00	
8,23,753.00		10,20,336.00	
45,858.00	घटाएं अन्तिम निकासी	97,348.00	9,22,988.00
7,77,895.00	कुल		9,22,988.00

केन्द्रीय परिषद
निधि
यथा तुलना पत्र

1991-92	परिसंपतियां	राशि	राशि
	1. विनियोजन		
	(क) विशेष जमा योजना		
1,70,500.00	गत् तुलन-पत्र के अनुसार		1,70,500.00
1,70,500.00			
	(ख) राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र		
75,000.00	गत् तुलन-पत्र के अनुसार		75,000.00
75,000.00			
	(ग) मासिक आय प्रमाण-पत्र		
2,75,000.00	गत् तुलन-पत्र के अनुसार	4,10,000.00	
1,75,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,35,000.00	
4,50,000.00		6,45,000.00	
40,000.00	घटाएं-विमोचित	1,10,000.00	
4,10,000.00			5,35,000.00
	2. कर्मचारियों को ऋण		
96,040.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	95,800.00	
78,575.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	78,850.00	
1,74,615.00		1,74,650.00	
78,815.00	वर्ष के दौरान की गई वसूली	81,510.00	93,140.00
95,800.00			
26,595.00	3. बैंक आफ इण्डिया के बचत		
26,595.00	खाते में 31-3-1993 को अन्तिम शेष		49,348.00
7,77,895.00	कुल		9,22,988.00

हस्ताक्षर
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
नई दिल्ली-110055

भारतीय चिकित्सा पैंशन एवं

31 मार्च, 1993 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

प्राप्तियां		राशि
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 1-4-92 को आद्य शेष		61,879.02
अंशदान		56,911.00
बचत खाता, मासिक आय प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र पर बैंक और डाकखाना से अर्जित ब्याज		89,889.62
विनियोजन परिपक्वता		
1. मासिक आय प्रमाण पत्र	1,47,000.00	
राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र	65,000.00	2,12,000.00
कुल		4,20,679.64

केन्द्रीय परिषद
ग्रेच्युटी निधि
प्राप्तियों एवं भुगतानों का लेखा

भुगतान	राशि
मासिक आय प्रमाण पत्र में विनियोजन	2,40,000.00
श्री एस॰ के सिंह को पैंशन एवं ग्रेच्युटी	1,62,343.00
बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में 31-3-93 को अन्तिम शेष	18,336.64
कुल	4,20,679.64

हस्ताक्षर
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद

भारतीय चिकित्सा पैंशन एवं 31 मार्च, 1993 को

1991-92	दायित्व	राशि	राशि
4,31,404.87	गत तुलन पत्र के अनुसार वर्ष के दौरान जोड़ा गया	5,68,879.02	
57,165.00	अंशदान	56,911.00	
80,309.15	ब्याज	89,889.62	
5,68,879.02		7,15,679.64	
	घटाएं श्री एस॰ के॰ सिंह को	1,62,343.00	5,53,336.64
5,68,879.02	किया गया भुगतान		
5,68,879.02	कुल		5,53,336.64

केन्द्रीय परिषद ग्रेच्युटी निधि यथा तुलना पत्र

1991-92	दायित्व	राशि	राशि
	विनियोजन		
	1. राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र		
1,20,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	65,000.00	
55,000.00	घटाएं विमोचित	65,000.00	शून्य
65,000.00			
	2. मासिक आय प्रमाण पत्र		
3,06,000.00	गत तुलन-पत्र के अनुसार	4,42,000.00	
1,79,000.00	घटाए-विमोचन	1,47,000.00	
1,27,000.00		2,95,000.00	
3,15,000.00	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	2,40,000.00	5,35,000.00
4,42,000.00			
61,879.02	बैंक आफ इण्डिया के बचत खाते में		18,336.64
61,879.02	31-3-93 को अन्तिम शेष		
5,68,879.02	कुल		5,53,336.64

हस्ताक्षर
सचिव
भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद
नई दिल्ली-110055

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE

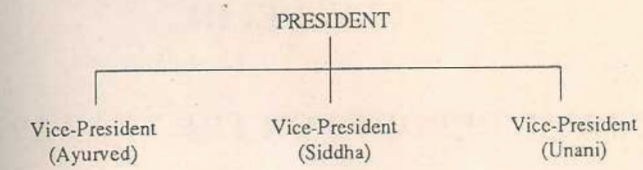

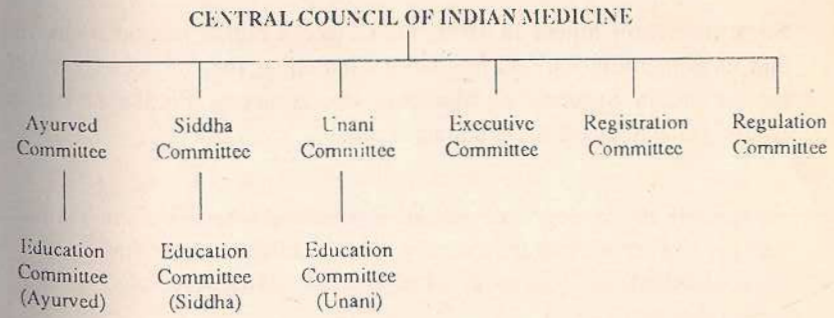

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI

ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 1992-93

The Central Council of Indian Medicine is a Statutory Body constituted under the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The first Council was constituted in 1971. The Council was reconstituted in 1984 vide Government of India Notification in the Gazette of India Extraordinary Part II Section 3, Sub-Section (ii) dated 7.5.1984.

The main objects of the Central Council are as follows:

(i) To prescribe minimum standards of education for courses in Indian Systems of Medicine viz.Ayurved, Siddha and Unani.
(ii) To advise Central Government in matters relating to recognition of medical qualifications of Indian Medicine.
(iii) To maintain the Central Register of Indian Medicine and revise the Register from time to time.
(iv) To regulate practice in Indian Medicine and prescribe standards of professional conduct, etiquette and code of ethics to be observed by the practitioners.

Since its establishment in 1971, the Central Council has been carrying on and implementing various regulations including the Curriculum and Syllabus in Indian Systems of Medicine viz. Ayurved, Siddha and Unani at Under-graduate and Post-graduate levels.

Almost all the colleges of Indian Systems of Medicine are affiliated to various Universities in the country. These colleges are following the minimum standards of education which include curriculum and syllabus prescribed by the Council.

COMPOSITION OF THE COUNCIL

The following are the members of the Central Council:

AYURVED

1. Dr. D. Radhakrishnamurthy
2. Dr. P.B. Satkopacharya
3. Dr. Sukumar Bhattacharjee
4. Dr. Deovrat Narayan Singh
5. Dr. Maheshwar Pandey
6. Dr. Indra Mohan Jha
7. Dr. Alakh Narayan Singh
8. Dr. Janardan N.Dave
9. Dr. Dinesh R.Patel
10. Dr. Krishna Chandra Sharma
11. Dr. Gulshan Rai Sharma
12. Kvj. B.N. Gupt
13. Vaidya Gauri Shankar Dwivedi
14. Vaidya Panchayya Hosmath
15. Dr. A.C. Rahula Kumar
16. Dr. K. Madhavan Nair
17. Vaidya Pt, Mahesh Dut Sharma Shastri
18. Dr. Prasanna Kumar Jain
19. Vaidya Harikrishan S. Joshi
20. Dr. S.I. Nagral
21. Dr. Swapneshwar Panda
22. Vaidya Parmod Kumar Tewari
23. Vaidya Madan Mohan Pushkarna (Expired in February 1993)
24. Vaidya Udai Shankar Sharma
25. Vaidya Gokulendra Sharma
26. Dr. V. Narayanaswamy
27. Dr. Ram Prakash Gupta
28. Dr. Hukam Chand Sharma
29. Dr. Prem Dutt Sharma
30. Dr. Ananda Roy
31. Vaidya K.K. Pandey
32. Dr. K.K. Zala
33. Vaidya Shamlal Vashishtha (Shastri)
34. Dr. L. Chikkarajanna
35. Dr. S.V. Savadi
36. Dr. Sachchidanand Upadhyay
37. Dr. A.K. Dulani

38. Vaidya Radhakrishan Shridhar Waray
39. Vaidya S.K. Mishra
40. Vaidya Jagannath Mishra
41. Dr. P.K. Debnath
42. Prof. R.C. Chaturvedi
43. Vaidya Hari Narayan Swami
44. Prof. V.J. Thakar
45. Acharya P.V. Sharma
46. Dr. S.T. Gujar
47. Vaidya Devendra K.Triguna
48. Kvj.Nanak Chand Sharma
49. Vaidya K.S. Varier
50. Dr. B.A. Hiremath
51. Dr. S.P. Gupta
52. Dr. D.L. Narayana
53. Vaidya Chandra Shekhar Gaur
54. Vaidya Pt. Shivkaran Sharma Chhangani
55. Dr. P.C. Bhattacharya

SIDDHA

56. Dr. G. Annaswamy
57. Dr. K. Palanichamy

UNANI

58. Hakim Mohd. Ashraf Karim
59. Dr. M.S. Gupta
60. Hakim Mohd.Umar
61. Dr. Dharam Chand
62. Dr. Daulat Ram Bharaj
63. Dr. Bansilal Pandita
64. Dr. Abdur Rehman
65. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah
66. Hakim Abdul Mobin Khan
67. Hakim Ved Prakash Sharma
68. Hakim Mohd. Iqbal Khan
69. Dr. M.T. Khan
70. Hakim Mohd.Ahmed Lari
71. Dr. Syed Shaji Hyder
72. Prof.Hakim Mohd. Taiyab
73. Hakim Abdul Hameed
74. Hakim Faizan Ahmed
75. Hakim Faiyaz Alam
76. Dr. J.D. Sanderwale

OFFICE BEARERS

The following are the office bearers of the Council:

1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah	President
2. Vaidya Pt. Shivkaran Sharma Chhangani	Vice-President (Ay.)
3. Hakim M.A. Lari	Vice-President (Unani) w.e.f. 28.3.93
4. Dr. S.I. Nagral	Chairman, Education Committee (Ayurved)
5. Prof. Hakim Mohd. Taiyab	Chairman, Education Committee (Unani)
6. Dr. Prasanna Kumar Jain	Chairman, Registration Committee
7. Vaidya Pt. Mahesh Dutt Sharma Shastri	Chairman, Regulation Committee

As per Section 9(1) of the IMCC Act, 1970, the Central Council has the following main Committees namely:

1. Ayurved Committee
2. Siddha Committee
3. Unani Committee

The above committees consist of members elected under clauses(a) (b) and nominated under clause (c) of sub-section(1) of Section 3 of the IMCC Act, 1970 representing the Ayurved, Siddha and Unani Systems of Medicine.

The Vice-President for each of the Ayurveda, Siddha and Unani Systems of Medicine elected under sub-section(3) of Section 3 are respectively the Chairman of the Committees referred to above.

Subject to such general or specific directions as the Central Council may from time to time give, each committee is competent to deal with any matter relating to Ayurved, Siddha and Unani Systems of medicine, as the case may be, within the competence of the Central Council.

The Central Council also constituted the following committees under Section 10 of the IMCC Act, 1970 to carry out various functions.

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee is constituted in accordance with regulation No.5 of the Central Council of Indian Medicine (General) Regulations, 1976 to discharge the functions of the Council within the framework of the Act and the rules and regulations made thereunder in accordance with the general policy and principles laid down by the Central Council. The Committee is represented by members of all the three systems of Indian medicine i.e. Ayurveda, Siddha and Unani.

The following are the members of the Executive Committee:

Chairman 1. Prof. Hakim Syed Khaleefathullah (President)
Members 2. Vaidya Pt. S.K.Sharma Chhangani, Vice-President (Ayurved)
3. Hakim M.A.Lari, Vice-President (Unani) (w.e.f.28.3.93)
4. Dr. S.T.Gujar
5. Vaidya Parmod Kumar Tewari
6. Dr. Ram Prakash Gupta
7. Prof. K. Madhavan Nair
8. Prof. Hakim M. Taiyab
9. Hakim Ved Prakash Sharma
10. Dr. K. Palanichamy

REGULATIONS COMMITTEE

The Regulation Committee is constituted by the Council to draw up the various regulations of the Central Council as required from time to time and to consider various matters relating thereto under the IMCC Act, 1970.

The following are the members of the Regulation Committee:

Chairman 1. Vaidya Pt. Mahesh Dutt Sharma Shastri
Members 2. Vaidya M.M. Pushkarna (Expired on February, 1993)
3. Vaidya Hari Narayan Swami
4. Dr. Swapneshwar Panda
5. Vaidya Panchayya Hosmath
6. Dr. Janardan. N. Dave
7. Dr. P.B. Satakopacharya
8. Dr. Maheshwar Pande
9. Dr. Gulshan Rai Sharma
10. Dr. D. Radhakrishnamurthy
11. Dr. J.D. Sanderwale
12. Dr. Bansi Lal Pandit
13. Dr. Abdur Rahman
14. Dr. Dharam Chand

REGISTRATION COMMITTEE

The Council constituted a Registration Committee to look into the matters relating to recognition and inclusion of various medical qualifications in the Schedules to IMCC Act, 1970 and to make recommendations on the subject. The consideration of the matters relating to the registration is also under the purview of this Committee.

The following are the members of the Registration Committee:

Chairman 1. Dr. Prasanna Kumar Jain
Members 2. Prof. R.C. Chaturvedi
3. Dr. Krishna Chandra Sharma
4. Vaidya Hari Krishna S. Joshi
5. Dr. P.K. Debnath
6. Dr. Prem Dutt Sharma
7. Dr. A.C. Rahula Kumar
8. Dr.D.R.Patel
9. Dr. B.A. Hiremath
10. Dr. Ram Prakash Gupta
11. Dr. Indra Mohan Jha
12. Dr. Madan Sarup Gupta
13. Dr. M.T. Khan
14. Hakim Mohammed Umar
15. Dr. Daulat Ram Bharaj
16. Hakim Faizan Ahmed

EDUCATION COMMITTEES (AYURVED, SIDDHA & UNANI)

The Education Committees are competent to deal with all the matters pertaining to Ayurved, Siddha and Unani education respectively. The following are the members of the Education Committees of Ayurved, Siddha and Unani :

AYURVED

Chairman 1. Dr. S.I. Nagral
Members 2. Vaidya Pt. S.K. Sharma Chhangani, V.P. (Ayurved)
3. Vaidya Devendra Kumar Triguna
4. Kvj. Nanak Chand Sharma
5. Dr. Ram Prakash Gupta
6. Dr. Ananda Roy
7. Dr. Satyapal Gupta
8. Dr. Hukam Chand Sharma

9. Vaidya S.K. Mishra
10. Dr. Jagannath Mishra
11. Prof. P.V. Sharma
12. Kaviraj B.N. Gupt
13. Dr. V. Narayanaswami

SIDDHA

1. Dr. K. Palanichamy
2. Dr. G. Annaswamy

UNANI

Chairman 1. Prof. Hakim Mohd. Taiyab
Members 2. Hakim M.A. Lari, V.P. (Unani) (w.e.f. 28.3.93)
3. Hakim Syed Shaji Hyder
4. Hakim Mohd.Ashraf Karim
5. Hakim Abdul Mobin Khan
6. Hakim Abdul Hameed
7. Hakim Faiyaz Alam
8. Hakim Mohd. Iqbal Khan
9. Dr. Madan Sarup Gupta

During the year 1992-93 the following meetings were held:

1.	Central Council of Indian Medicine	One
2.	Ayurveda Committee	One
3.	Siddha Committee	One
4.	Unani Committee	One
5.	Executive Committee	Four
6.	Education Committee (Ayurved)	One
7.	Education Committee (Siddha)	One
8.	Education Committee (Unani)	One
9.	Regulation Committee	One
10.	Registration Committee	One
11.	Selection Committee	One

The annual meeting of the Central Council was held on 27th & 28th March, 1993 at New Delhi. The Central Council ratified the minutes of the meetings of various committees held during the year. The Central Council made the following recommendations:

The Central Council agreed to the following points discussed in a meeting held in the Chamber of Additional Secretary, Ministry of Health &

Family Welfare on 16.1.92 to be incorporated in the proposed legislation for prohibition of unauthorised institutions awarding degree and diploma in Indian Systems of Medicine:

(i) An enactment, as proposed by Central Govt. should be passed.

(ii) A punishment upto 3 years imprisonment (with minimum of 6 months imprisonment) and fine upto Rs. 1.00 lakh (minimum fine of Rs. 10,000) should be provided in such an Act;

(iii) Proprietors/Managers/Teachers engaged in an unauthorised institution should be punished;

(iv) The offence should be made cognizable by amending section 7 of the Bill this will enable police to take action Suo Moto or on the complaint/ FIR given by any one; complaint would also be filed by the concerned State Governments officials and the office of Central Council of Indian Medicine New Delhi whenever any offence under the Act comes to their notice.

(v) A separate Section should be provided in the Bill to enable the States to frame Rules, providing for carrying out the proposals of the Act and monitoring of implementation of the provisions of the Act.

(vi) Acronyms of degrees/diplomas/certificates resembling recognised qualifications should be banned under the Rules to be framed by the State.

The Central Council noted that the Jammu & Kashmir Government had decided to restart Ayurved & Unani colleges in the State two years back and earmarked funds for the same but till now nothing has been done in this regard. If colleges are not opened, most of the dispensaries will be closed in near future on the plea that there are no professional graduates. No person from other state can be posted there as per State Laws. It was resolved that Jammu & Kashmir Government be approached through a high power delegation for opening of the colleges as there is already infrastructure available in the State as hospital, Library, Laboratory and staff.

AYURVED

The Central Council approved the Curriculum & Syllabus of Postgraduate course in Ayurved reviewed by the Sub-Committee after discussion with all Heads of departments of Banaras Hindu University Varanasi, National Institute of Ayurved, Jaipur and Gujarat Ayurved University, Jamnagar. The

Central Council agreed to the proposal of Vaidya R.S. Waray to provide the Post-graduate degree in Panchkarma also separately.

"The Central Council agreed to the recommendation of the Sub-Committee for incorporation of the subject of Genetic in the syllabus of Prasuti-Tantra and Strirog of Ayurvedacharya course as proposed by Dr. Maheshwar Pandey.

The Central Council resolved that subject Pollution its diseases and their treatment may be included in the Ayurvedacharya course. It was decided that the details of the subject its diseases and treatment be prepared for scrutiny and incorporation of the same in the subject concerned."

The Central Council decided to permit the Govt. Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur for conducting P.G.degree course in Shalya Tantra & Postgraduate diploma course in Agadtantra. It was further decided that the students admitted for P.G.study in Rognidan be allowed to complete the course as per guidelines laid down by Central Council of Indian Medicine but no admission be made in this speciality till the permission for the same is granted by the Central Council of Indian Medicine. The institution was not allowed to conduct Post-graduate course in Dravyaguna.

The Central Council decided that Shri Ayurved Mahavidyalaya, Nagpur be allowed to conduct Post-graduate course in the following specialities:

1. Samhita
2. Sharir Rachna
3. Sharir Kriya
4. Dravyaguna Vigyan
5. Rasashastra and Bhaishajyakalpana
6. Kayachikitsa
7. Shalya & Shalakya Tantra

The Central Council decided that Ayurved Mahavidyalaya, Dhule may not be allowed to conduct the Ayurvedacharya course. The admission in the college should be stopped forthwith.

The Central Council decided that Guru Nanak Dev University, Amritsar and Dayanand Ayurved Mahavidyalaya, Jalandhar be informed that no admission should take place to the Dayanand Ayurved Mahavidyalaya, Jalandhar from the academic year 1993-94 till the discrepancies are set right and compliance report sent to the Central Council.

The Central Council noted the visitation report of Gaur Brahman Ayurved Mahavidyalaya, Rohtak and decided that in view of the poor condition

of the college and lack of teaching and practical training facilities in Gaur Brahman Ayurved Mahavidyalaya, Rohtak, it should not be allowed to continue. The admission of student from the session 1993 be stopped.

The Central Council decided that the authorities of Mastnath Ayurved College, Asthal Bohar be asked to fulfil the minimum requirements in conformity with the minimum requirement laid down by the Central Council and for removing the shortcomings as pointed out by the visitors in their visitation report.

The Central Council approved a 18 months certificate/Diploma course for foreigners. It was decided that this course can be implemented in the recognised University in India. It was further decided that necessary action be taken for sanction of Government of India by circulating the same to all State Govt. as provided under the provisions of Section 22(2) of the Indian Medicine Central Council Act, 1970. The Central Council decided that Shri Dhanwantri Ayurved Mahavidyalaya Chandigarh be allowed to conduct Ayurvedacharya course for the year 1992-93 in accordance with the rules and Regulations of Central Council of Indian Medicine and the admission be done strictly on merit.

The Central Council noted that some of the Universities have affiliated some Ayurved colleges under permission of respective State Govts. But inspite of clear instructions of Central Council of Indian Medicine the permission from the Central Council was not obtained either by State Govt. or University concerned. The minimum norms laid down by Central Council of Indian Medicine were also not observed in the sub-standard institutions. The Registrars of the Universities were repeatedly requested to follow the norms and not to allow/affiliate the new institutions for conducting Ayurvedacharya course unless the Central Council assess the minimum standards of institution and permit for the same.

The matter was discussed by the Central Council in detail and was taken seriously. The Central Council also gone through the list of colleges approved by the Council. It was decided that the list of institutions approved by the Central Council of Indian Medicine should be published in three newspapers of each State (i) English (ii) Hindi & (iii) Regional language specially in case of Maharashtra, Karnataka, Bihar and Uttar Pradesh. The list of approved institutions be communicated to the officials concerned of the Health Department. It was further decided that the concerned Universities be warned strictly and asked for stopping admission in sub-standard institutions affiliated by them. If the Universities fail to take appropriate

following the decision of the Council, the recognition of degree be stopped forthwith and necessary action for the same be taken. The members may also send the reports.

The Central Council noted that Ayurvidya Parangat degree awarded by Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune is included in the Second Schedule to the IMCC Act, 1970 upto 1980. In this connection, the Additional private Secretary to Home Minister of India vide their letter No. 23/MAR/19/HPAP dated 21.12.92 informed that Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune has suspended the course but the examinations were held till 1988 for the benefit of the repeaters and those candidates who had already registered. No examinations have been held after 1988 and the Vidyapeeth now urges to the Central Council of Indian Medicine to recognise the Ayurvidya parangat qualification awarded after 1980 to 1988.

The Central Council discussed the matter in detail and unanimously decided that the qualification only of those candidates who are admitted/ registered before and upto 1980 be considered and the details may be verified from the Vidyapeeth.

VIOLATION OF REGULATION

The Central Council noted that Banaras Hindu University is not following:

(i) Criteria of admission in Post-graduate course of Ayurved

(ii) Nomenclature of the degree being awarded is not in conformity with the prescribed one

(iii) contents of the course are also not as prescribed by Central Council of Indian Medicine.

The Central Council resolved that the above University be directed that basic things like nomenclature, Curriculum and Syllabus etc. approved by the Central Council be adopted and implemented with out delay failing which necessary action for withdrawal of recognition of the Post-graduate degree of Banaras Hindu University, Varanasi may be taken as per the IMCC Act, 1970.

The Central Council noted that Post-graduate course in three subjects i.e. (i) Dravyaguna (ii) Rog Vigyan and Vikriti Vigyan and (iii) Sharir Samhita has been started at Shyamadas Vaidya Shastrapeeth, Calcutta with the permission of the Ministry of Health & Family Welfare without obtaining the consent of the Central Council which is essential as provided under the regulations pertaining to Post-graduate education of Ayurved.

It was also noted that permission has been granted to start Post-graduate course in speciality of (i) Dravyaguna (ii) Rogvigyan & Vikriti Vigyana and (iii) Sharir Samhita for which no details of study has been prescribed by the Central Council as prescribed for other specialities. It is not known about the contents of the specialities taught to the students.

The Central Council was of the opinion that without factual assessment of the prevailing conditions in the institute, it is not desirable to permit any institution for starting Post-graduate course by the Government in future. This is in the spirit of the previous decision/directives of the Government of India issued vide their letter No. V.26025/31/78-AE dated 16.2.79 to the Health Secretaries of all State Governments.

It was decided that spot study of the institution may be undertaken.

PERMISSION TO NEW COLLEGES

The Central Council after assessing the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate education of Ayurved in conformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council under the regulations pertaining to Under-graduate education of Ayurved permitted the following new institutions for imparting Under-graduate course of Ayurved subject to the conditions that the shortcomings pointed out be fulfilled within one year:

1. Bharati Vidyapeeth College of Ayurved
   Erandawane, Pune.
2. College of Ayurved & Research Centre
   Poona Distt. Education Association
   Akurdi.
3. R.J.M.H. Baisaheb Sawant Ayurved Mahavidyalaya
   Sawantwadi.

VISITATION OF AYURVED COLLEGES

The following institutions/Ayurved colleges were visited during the year to assess the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate/Post-graduate education in conformity with the minimum standards and requirements laid down by the Central Council of Indian Medicine:

LIST OF AYURVEDIC COLLEGES VISITED DURING 1992-93

Name of the Colleges	Date of Visitation	UG/PG
M.D. UNIVERSITY, ROHTAK		
Shri Marusingh Memorial Mahila Ayurved Degree College, Khanpur Kalan **Sonepat** (Haryana)	29.9.92	UG
Gour Brahman Ayurved Mahavidyalaya **Rohtak** (Haryana)	28.9.92	UG
Mastnath Ayurved Mahavidyalaya **Asthal Bohar** (Haryana)	30.9.92	UG
GURU NANAK DEV UNIVERSITY, AMRITSAR		
Dayanand Ayurved Mahavidyalaya **Jalandhar** (Punjab)	21.5.92	UG
A.P. UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, VIJAYAWADA		
S.V. Ayurvedic College, **Tirupati** (AP)	25.6.92	UG
KUVEMPU UNIVERSITY, SHIMOGA		
A.L.N.Rao Memorial Ayurved College **Koppa** (Karnataka)	31.7.92	UG
GULBARGA UNIVERSITY, GULBARGA (KARNATAKA)		
Ayurved Mahavidyalaya, **Bidar** (Karnataka)	10.3.93	UG
UNIVERSITY OF POONA, PUNE		
Sidhakala Ayurved Mahavidyalaya **Sangamner** (M.S.)	30.11.92	UG
Bharati Vidyapeeth College of Ayurved **Erandawane** (Pune)	1..12.92	UG
College of Ayurved & Research Centre poona Distt. Education Association Akurdi, (MS)	2.12.92	UG
Ayurved Mahavidyalaya Sangamner Distt. **Ahmednagar** (MS)	12.3.93	UG
Tilak Ayurved Mahavidyalaya, **Pune** (MS)	18.3.93	PG
SHIVAJI UNIVERSITY, KOLHAPUR		
Ganga Education Society's Ayurved Mahavidyalaya, **Kolhapur** (MS)	3.12.92	UG

Seth Govindji Raoji Ayurved Mahavidyalaya **Sholapur** (MS)	20.3.93	PG
UNIVERSITY OF BOMBAY, BOMBAY		
R.J.M.H. Baisaheb Sawant Ayurved Mahavidyalaya, **Sawantwadi** (MS)	4.12.92	UG
Ayurved Mahavidyalaya, Sion **Bombay** (MS)	22.3.93	PG

UNANI

The Central Council approved the proposal for introduction of 4 1/2 years degree course with one year of internship (Three professional examinations after 1 1/2 each) in Unani Tibbia colleges.

The Central Council noted the contents of letter of Prof. Farid Ghani, Director, Academic Programme Aligarh regarding proper implementation of the teaching programme and hospital work in the light of Council decision. It was requested that clarification on the following may kindly be given:

> "The contents of courses to be taught to the Under-graduate students of Unani Medicine, Particularly in areas of Surgery, Radiology, Anaesthesiology and Pathology. The book prescribed for above course."

The Central Council considered the issue and resolved to inform him that the curriculum & syllabus already finalised by the Central Council which is pending the sanction of Central Govt. is comprehensive and self-explanatory.

The Govt. Tibbia College, Patna & Nizamia Tibbia College & Hospital, Gaya were permitted to impart Under-graduate course in Unani Tib for two years. The shortcomings indicated in the visitation reports were forwarded to the authorities of the institution, University and the State Government for fulfilment.

The Central Council noted that amended Curriculum for Kamil-e-tib-o-Jarahat course in Unani was forwarded to Ministry of Health & Family Welfare for sanction as required under Section 36 of the IMCC Act, 1970. The Ministry of Health & Family Welfare vide their letter dated 23.9.92 stated that the statement regarding existing proposed curriculum, justification given in this regard is not clear and requires detailed discussion.

It was suggested that the matter may be discussed with Hony. Adviser (Unani) in the Ministry before it is taken up further. After due consideration on the observations of the Ministry, it was viewed that proposed Curriculum & Syllabus forwarded to the Ministry is quite clear in every aspect. Therefore, the Ministry may be requested again to go through the same and accord the sanction at the earliest.

The Central Council agreed to the views of Unani Committee that the list of oriental qualifications approved by the Central Council for the purpose of admission to Unani course be reviewed.

The Central Council noted that the amendments to the prescribed regulations pertaining to the post-graduate education in Unani Tibb approved by the Central Council of Indian Medicine were forwarded to the Ministry of Health & Family Welfare for sanction as required under Section 36 of the IMCC Act, 1970. In response to the above, the Ministry of Health & Family Welfare vide their letter dated 14.9.90 had informed that the proposal was examined in the Ministry and observed that the following difference may be confirmed:

"S.No.2 Ilmul Amraz-wa-Amraz-e-Jaraseem (Pathology and Bacteriology) and S.No.11 Ilmul Amraz (Pathology are the same Ilmul Amraz also includes Ilmul Jaraseem i.e. Bacteriology.

The clarification on the above was forwarded to the Ministry of Health & Family Welfare as:

"Pathology and Bacteriology are two separate disciplines and both belongs to para-clinical group. Since both are a bit interrelated on the causative front, combined teaching and examination is possible. Hence either it should be (at S.No.2) Ilmul Amraz wa Ilmul Jaraseem or only Ilmul Jaraseem at No.2 and Ilmul Amraz at No.11."

The Ministry of Health & Family Welfare again stated that Adviser (Unani) has been consulted in this matter, who does not agree with the view of the Central Council of Indian Medicine. They may, therefore reconsider the matter and if required, Adviser (Unani) may be associated in the deliberations of the Central Council.

The Central Council considered the issue and resolved that the matter has already been considered twice by the Education Committee which consists of qualified technical personnel and any further consideration is quite

uncalled for. Already the sanction is delayed considerably. Hence, instead of delaying the matter requested that sanction be accorded immediately.

The Central Council decided that the knowledge of Urdu language should be upto the level of 10th class or equivalent recognised examination in Urdu from Board/University for the purpose of admission to Under-graduate course of Unani Tib.

The Central Council recommended the book Kulliyat-e-Umoore-e-Tabeeya compiled by Hakim Tashkheer Ahmed to be included as reference book for the subject of Kulliyat-e-Umoor-e-Tabeeya of Kamil-e-tib-o-Jarahat course.

The Central Council noted that at present the text books which have been written somewhere in 1970 or prior have been prescribed for Kamil-e-tib-o-Jarahat degree course. For imparting uptodate knowledge of the subject, it is essential to prescribe the latest editions of the books on various subjects being taught to the students undergoing such courses. By prescribing the latest books on the subject the colleges could be able to shape the Unani Physicians capable of handling medical/surgical cases efficiently.

It was decided that the Sub-Committee consisting of the following members may update the text books for Kamil-e-tib-o-Jarahat course:

1. Hakim M.A. Lari
2. Hakim Syed Shaji Hyder
3. Dr. M.S. Gupta

The Central Council resolved that every University which has constituent/affiliated Tibbia college must have the Faculty of Unani Medicine or Faculty of Ayurved & Unani Medicine.

VISITATION OF UNANI COLLEGES

The following Unani College was visited during the year to assess the minimum standards and requirements for imparting Under-graduate education in Unani Tib in conformity with minimum standards and requirements laid down by the Central Council of Indian Medicine:

Hamdard Tibbi College Jamia Hamdard New Delhi.	31.3.93	Under-graduate

SIDDHA

The Central Council noted that Post-graduate course of Siddha in the Specialities of Sirapu Maruthuvam & Kuzhanthai Maruthuvam approved by the Central Council of Indian Medicine were forwarded to the Ministry of Health & Family Welfare for sanction as required under Section 36 of the IMCC Act, 1970. The Ministry of Health & Family Welfare vide their letter No. V.26017/1/88-AE dated 9.10.92 informed as under:-

1. In both the above mentioned course at the end of the first year there is an examination consisting of four papers in both courses consists of Basic Principles (Modern) with Bio-Chemistry, Bio-Physics, Microbiology and Pathology.

2. In the final examination at the end of 3rd year, there are four papers. The fourth paper is entirely for Modern Orthopaedics in first course and Modern Paediatrics in Second course.

3. So far to our knowledge, no such papers or course exists in Ayurvedic or Unani M.D. Course approved by Central Council of Indian Medicine.

It was requested that the above clarification about such papers and courses of Post-graduate study in Ayurved & Unani may be furnished to maintain uniformity otherwise this may lead to complication for Ayurvedic & Unani students community. In this connection, it was also noted that there is no such paper and course as stated above in Ayurved and Unani Post-graduate study. The Central Council after great deliberation on the issue, amended the details of Sirapu Maruthuvam and Kuzhanthai Maruthuvam under Post-graduate course of Siddha to fall in line with Ayurved and Unani Post-graduate courses as approved by Central Council and sanctioned by Govt. of India.

The Central Council approved the following hospital for the purpose of internship training to the students successfully passed the Siddha Maruthuvam Arignar (Bachelor of Siddha Medicine & Surgery) course:

1. Nellai Kattabomaman Distt. Hospital, Tenkasi
2. Kamraj Distt. Hospital, Virudhunagar
3. Pasumpon Devar Distt. Hospital, Sivagangai
4. Madurai Distt. Hospital, Perikulam
5. Sambu Varaiyar Distt. Hospital, Tiruvamamalai
6. Thanjavar Distt. Hospital, Kumbakonam.

The Central Council resolved to request the Govt. of India to nominate the name of Dr. M.A. Kumar, Asstt. Advisor (Siddha) in the Ministry of Health & Family Welfare in the vacancy caused due to expiry of Dr. Keshav Pillai. This will help the proper development of Siddha System till the Council is re-constituted.

GENERAL

The Central Council decided that a meeting of the heads of the Research Councils of Ayurved, Siddha and Unani and also the Universities like Banaras Hindu University, Gujarat Ayurved University Jamnagar, National Institute of Ayurveda, Jaipur, Aligarh Muslim University, Aligarh, Osmania University, Hyderabad, Tilak Maharashtra Vidyapeeth, Pune and representatives from the Post-graduate College, members of the Executive Committee, Chairman, Education Committee (Ayurved) and Unani, Chairman, Regulation Committee and Registration Committee be convened by the Central Council to discuss the present status of Research in Ayurved/Siddha/Unani and to consider ways and means to include the same in the Syllabus of the Under-graduate/Post-graduate courses.

The Central Council decided to levy an annual fee of Rs. 5000/- from an Under-graduate college and Rs. 2000/- each for a Post-graduate department to a maximum of Rs. 10,000/- if the college have five Post-graduate departments or more.

It was further decided that each college of I.S.M. shall be inspected at least once in two years. This shall come into force from 1992-93 onwards.

The inspection fee for the new colleges of Indian Systems of Medicine to be started as fresh be charged Rs. 10,000/- as inspection fee and the same be collected in advance.

The Central Council noted that there was a big agitation of I.S.M. practitioners in Delhi regarding use of allopathic drugs by practitioners of Indian Systems of Medicine. In this connection, it was also noted that the Central Council at its 17th meeting held on 10th & 11th March, 1987 passed the following resolution in this regard:

This meeting of the Central Council hereby unanimously resolved that in clause (e) of Sub-section 2(1) of the I.M.C.C. Act, 1970, the word 'Modern advances' be read as advances made in the various branches, of Modern Scientific Medicine, Clinical, Non-Clinical, Bio-Sciences

the courses and curriculum conducted and recognised by the Central Council of Indian Medicine are supplemented with such Modern Advances."

The issue was further discussed in detail. Looking at the present juncture of controversy created for use of Modern drugs by practitioners of I.S.M., the Central Council is of the firm opinion that as the courses of study of I.S.M. contained adequate knowledge of Surgery, Gynaecology and practical therapeutics, they are competent to use modern medicinal drugs.

The Govt. of India forwarded a proposal regarding setting up of an Ayurved University in Kerala State for the comments of the Central Council.

It was brought to the notice of the Central Council that all State Governments have already been requested for establishment of University of Indian Systems of Medicine.

It was decided that Govt. of India may also be requested to direct the State Govts. for the same. The Government of Kerala may also be informed that the Central Council will be very happy if the State Govt. of Kerala come forward for setting up of an University of Indian Systems of Medicine in their State.

The Central Council resolved that the medical profession cannot be brought under the Consumer Protection Act, 1986 as the approach of medical profession is always for the benefit of patient.

In cases of emergencies medical consultant has to use his discretion to save the life of the patients and all the medical practitioners are bound by the medical ethics. Their decision and skills cannot be weighted with any such measurable standards like I.S.I. standards. It was further resolved to request the Central Government to delete the medical profession from the Consumer Protection Act, 1986.

The Central Council resolved that the Ministry of Health & Family Welfare be requested to issue the necessary instructions to all the State Govts. to amend State Acts in accordance with the provisions of the Central Act.

CENTRAL REGISTER OF INDIAN MEDICINE

The preparation and maintenance of the Central Register of Indian Medicine is one of the main functions of the Central Council. As per Section 23 of the Indian Medicine Central Council Act, 1970, the Central Council shall cause to be maintained in the prescribed manner, a register of Indian Medicine to be known as Central Register of Indian Medicine which shall contain the names of all persons who are for the time being enrolled on any State Register of Indian Medicine and who possess any of the recognised medical qualifications included in the Schedules to the I.M.C.C. Act, 1970.

The Central Register of Indian Medicine almost upto 1986 pertaining to Andhra Pradesh, Assam, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Orissa, Punjab, Tamilnadu, West Bengal, Delhi and Madhya Pradesh have been prepared and published in the Gazette of India.

The Central Register pertaining to remaining States i.e. Bihar, Gujarat, Kerala, Maharashtra and Rajasthan has also been prepared and sent to the Government of India Press for Notification in the Gazette of India.

The State Register in the prescribed proforma has not been received from Uttar Pradesh from inception of the State Council to 1987, inspite of repeated requests/reminders. This issue was discussed by the Central Council. It was decided that the Govt. of Uttar Pradesh be informed clearly that till the State Register with complete information as per proforma approved by the Central Council is not received, nothing could be done to prepare the Central Register of Indian Medicine pertaining to Uttar Pradesh.

The Central Council has started the work relating to preparation of Central Register of Indian Medicine for January, 1987 to March, 1991 The Central Govt. on the advice of the Central Council notified one medical qualification of Ayurved in the Gazette of India for inclusion in the Second Schedule to the I.M.C.C. Act, 1970. During the year following medical qualification awarded by Amravati University was included in the Second Schedule to the Indian Medicine Central Council Act, 1970:

S.No.	Name of the awarding body	Qualification	Year
1.	Amravati University Amravati	Ayurvedacharya BAMS (Bachelor of Ayurvedic Medicine & Surgery)	From 1989 onwards

ADMINISTRATION AND FINANCE

The Central Council approved the rules for issuing books from the library of the Central Council.

The Central Council constituted the Departmental Promotion Committee for the office of the Central Council consisting of the following:

1. President, CCIM
2. Vice-Presidents (Ay./Siddha/Unani)
3. Dr. Ram Prakash Gupta
4. Dr. K. Palanichamy
5. Acharya R.K. Jain, Secretary

The Central Council noted that the Ministry of Health & Family Welfare vide letter No. A. 60011/5/86-ISM dated 8.11.91 has accorded the sanction for Non-Practising Allowance to the Technical Officers of Central Council of Indian Medicine from 1.1.86.

The Central Council resolved that Govt. of India be requested that a post of Asstt. Registrar (Siddha) in the pay scale of Rs. 2200-4000 be created and a technical person of Siddha System may be appointed as early as possible to look after the technical matter pertaining to Siddha education because the entire terminology are in Tamil.

The Central Council is a small organisation. However, every care is taken to ensure that the reservations made by the Government of India for different categories are maintained. Out of 35 employees of the Central Council, the reservation made for different categories is as under:

Scheduled Caste	:	Four
Scheduled Tribe	:	Two
Physically Handicapped	:	Two
Ex-Servicemen	:	One

BUDGETARY RESOURCES

The Budget estimates and Revised Estimates for the year 1992-93 were approved by the Council and released/sanctioned by the Government are as under:

	Non-Plan Rs. in lakh	Plan Rs. in lakh
1. Budget Estimates 1992-93 (Approved by the Council)	33.21	51.00
2. Budget Estimates 1992-93 (Sanctioned by Ministry)	16.00	15.00
3. Revised Estimates 1992-93 (Approved by the Council)	19.61	15.00
4. Revised Estimates 1992-93 (Sanctioned by the Ministry)	18.00	15.00
5. Grant-in-aid released by		

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT
CENTRAL REVENUES, NEW DELHI-110002

Confidential

No. OAD IV/SAR/CCIM/93-94 Dated: 3.2.94

To
The Secretary to the Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Nirman Bhavan
New Delhi.

Sub: Audit Report on the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1992-93

Sir,

I am to enclose a copy of the certified annual accounts of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1992-93 together with the Audit Report thereon and Audit Certificate for being laid on the Table of Parliament.

Two copies of the documents as presented to the Parliament may please by furnished to this office and also to the office of the Comptroller and Auditor General of India indicating the date on which these were presented to parliament.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully
Sd/-
Director of Audit (Inspection-I)

Encl: As above

No. OAD 4/SAR/CCIM/93-94/638 DATED: 3.2.94

Copy together with a copy of the certified annual accounts, the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to the Secretary, Central Council of Indian Medicine, 1E/6, Swami Ramtirth Nagar, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 for necessary action with reference to their letter No. 10-13/93-Accts. dated 24.1.94. The date on which the certified annual accounts are considered by the Governing Body may please by intimated to this office alongwith supporting documents. Five copies of the Hindi version of the Certified annual accounts may also be supplied to this office at the earliest.

Sd/-
DIRECTOR OF AUDIT (INSPECTION II)

Encl : As above

No. OAD/SAR/CCIM/93-94 Dated: 3-2-94

Copy together with a copy of the certified annual accounts, the Audit Report thereon and the Audit Certificate forwarded to Shri Saroop Singh, Administrative Officer, (Rep. AB) office of the Comptroller and Auditor General of India, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi with reference to Headquarter's Office letter No. 8 Report (Health Deptt.) /298-93 dated 13.1.94

A statement incorporating replies to Headquarter's comments/ observations is also enclosed.

This issues with the approval of DACR I

Sd/-
DIRECTOR OF AUDIT
(INSPECTION II)

Encl : As above

Audit Report on the accounts of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi for the year 1992-93.

1. INTRODUCTION

The Central Council of Indian Median Medicine (Council) New Delhi was established in 1971 under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 with the objectives of prescribing minimum standards of education for courses in Indian system, maintenance of Central Register of Indian Medicine etc. and other matters connected therewith.

The Council is financed mainly by grants from Government of India. The Council received grants amounting to 17.04 lakhs under Non-plan during 1992-93. As required under rule 86 of the Council's Regulations 1976 made under Indian Medicine Central Council Act 1970, the accounts of the Council are audited under Section 19(2) of the Comptroller and Auditor General (Duties, Powers and Condition of Service) Act 1971.

Comments on accounts

2. Depiction of inflated expenditure of Rs. 1.15 lakhs.

As per decision of the Executive Committee of the Council in October 1992, all colleges teaching Indian systems of medicines were required to

remit to the Council Rs. 5000/- per annum for under graduate and Rs. 2000/- per annum for post graduate speciality/ department.

The amount so collected was to be kept in a separate savings bank account and utilised for the periodical visitation of the colleges by the visitors for periodical assessment of the minimum standards of Indian System of Medicine education as well as of the institution as per the norms laid down by the Council.

Scrutiny of annual accounts revealed that the Council received Rs. 2.87 lakhs as recognition fee during the year 1992-93 out of which Rs. 1.15 lakhs was shown on the payment side in the receipt and payment account as well as expenditure in the Income and Expenditure Account under the head 'Recognition fee of I.S.M. Colleges'. As the amount of Rs. 1.15 lakhs was the balance lying in the separate saving bank account, the amount should have been indicated as closing balance in the receipt and payment account. The depiction of Rs. 1.15 lakhs as expenditure has resulted in understatement of closing balance in Receipt and Payment Account and understatement excess of income over expenditure and overstatement of expenditure to that extent in the Income and expenditure Account.

The mistake was rectified by the Council (January 1994) in the revised accounts at the instance of Audit.

3. **Pension-cum-gratuity scheme**

Pension-cum-gratuity scheme including family pension scheme was introduced in the Council with effect from April, 1983. According to the terms and conditions of the Scheme, the Pension Fund was to be created from the funds already available on account of employer's contribution to contributory provident fund together with interest that may accrue on investment of such funds and no additional grants for augmenting the Pension Fund were to be released by Central Government. The Council had, however, transferred Rs. 3.76 lakhs as employer's contribution during 1983-84 to 1992-93 including Rs. 0.57 lakh during 1992-93. No specific sanction had been issued by the Ministry to regularise the transfer of funds. The irregular transfer of funds during 1983-84 to 1991-92 was also commented upon in the Audit Report for 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1990-91 and 1991-92.

Director General of Audit
Central Revenues

Place : New Delhi.

Date :

Audit Certificate

I have examined the Receipts and Payments Account/Income and Expenditure Account for the year ended 31st march 1993 and the Balance Sheet as on 31st march 1993 of the Central Council of Indian Medicine, New Delhi. I have obtained all the information and explanations that I have required, and subject to the observations in the appended Audit Report, I certify, as a result of my audit, that in my opinion these accounts and Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Central Council of Indian Medicine according to the best of information and explanations given to me and as shown by the books of the organisation.

Director General of Audit
Central Revenues

Place : New Delhi.

Date:

CENTRAL COUNCIL OF
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT

RECEIPTS		NON-PLAN		PLAN
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
OPENING BALANCE AS ON 1.4.1992				
Cash in hand	8,780.75		- -	
Cash at Bank	90,222.70		1,36,580.25	
Stamps in hand	64.10		- -	
Stamps in Franking Machine	1,103.99	1,00,171.54	- -	1,36,580.25
Grant-in-aid received from Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi during 1992-93		17,04,000.00		- -
INCOME OTHER THAN GRANT-IN-AID				
Recognition Fee of ISM Colleges	2,87,000.00			
Sale of Raddi	280.00		- -	
C.G.H.S. Facilities	466.00		- -	
Interest of G.P. Fund	69,038.93		- -	
Interest from employees on Advance	986.00	3,57,770.93	7,260.00	7,260.00
RECOVERY OF ADVANCE				
Festival Advance	10,840.00		- -	
Scooter Advance	15,140.00		4,200.00	
House Building Advance	- -	25,980.00	21,200.00	25,400.00
MISCELLANEOUS REMITTANCES				
General Provident Fund	2,38,389.00			
Income Tax	12,203.00	2,50,592.00		
BALANCE C/F		24,38,514.47		1,69,240.25

INDIAN MEDICINE
FOR THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1993

PAYMENTS		NON-PLAN		PLAN
	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
1. PAY & ALLOWANCE				
Pay of Officers	51,625.00			
Pay of Establishment	5,01,469.00			
Non-Practising Allowance	22,955.00			
Post-Graduate Allowance	1,452.00			
Dearness Allowance	4,53,940.00			
House Rent Allowance	1,21,561.00			
City Comp. Allowance	20,960.00			
Washing Allowance	1,440.00			
Conveyance Allowance	8,197.00			
Tuition Reimbursmet	2,100.00			
Medical Reimbursment	22,350.60			
C.G.H.S. Facilites	13,483.00			
Leave Travel Concession	4,441.50			
Bonous	33,829.00			
Leave Encashment	48,449.00			
Remuneration PA to President	6,000.00	13,14,252.10	- -	- -
2. CONTINGENCIES				
(a) Recurring Expenditure				
Stationery	- -		27,536.70	
Postage & Telegram	11,732.74		- -	
Electric charges	12,124.00			
Water Charges	150.00		- -	
Building Rent	56,400.00		- -	
Telephone	46,867.00		- -	
Newspaper & Perodical books	2,937.00		- -	
Audit Fee	- -		24,320.00	
Printing Expenses	- -		3,396.00	
Liveries Expenses	5,741.80			
Maintenance of Office Equipment	12,758.60			
Sundries Expenses	28,309.03		4,500.00	
Conveyance Expenses	4,524.00		- -	
Legal Expenses	- -		11,359.00	
Publication	- -		3,480.00	
		1,81,544.17		74,591.70
BALANCE C/F		14,95,796,27		74,591.70

BALANCE B/F		14,95,796.27		74,591.70
(b) Non-Recurring Expenditure				
Books for Library	464.00		--	
Office equipment	539.55	1,003.55	--	---
3. Travel Expenses				
President/Vice President	14,142.80		--	
Secretary/Establishment	17,385.70		--	
Members of Council	1,75,846.00		--	
Members of Executive Committee	79,297.40			
Members of Edu. Committee (Ay)	10,683.00		--	
Members of Edu. Committee (Unani)	14,143.00		--	
Candidate called for interview	684.00		--	
Asstt. Registrar (Ayurved) Members of Regulation Committee	--	37,410.00		
Members of Registration Committee	--	21,779.00		
Members of Visiting Committee	--	3,12,181.90	33,845.60	93,034.60
4. Payment of Advance				
Festival Advance		13,200.00		--
5. Miscellaneous Remittances				
General Provident Fund	2,38,389.00			
Income Tax	12,203.00	2,50,592.00		
6. Contribution towards Pension		56,911.00		--
7. Interest to General Provident Fund		85,562.00		--
9. Closing Balance as on 31.3.93				
Cash in hand	5,496.50		--	
Cash at Bank in Current A/c	1,02,771.25		1,613.95	1,613.95
Cash at Bank in SB A/c,	1,15,000.00	2,23,267.75		
TOTAL		24,38,514.47		1,69,240.25

TOTAL	24,38,514.47	1,69,240.25

CENTRAL COUNCIL OF
INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR

EXPENDITURE	NON-PLAN AMOUNT	NON-PLAN AMOUNT	PLAN AMOUNT	PLAN AMOUNT
1. PAY & ALLOWANCES				
Pay of officers	51,625.00		--	
Pay of Establishment	5,01,469.00		--	
Non-Practising Allowance	22,955.00		--	
Post Graduate Allowance	1,452.00		--	
Dearness Allowance	4,53,940.00		--	
House Rent Allowance	1,21,561.00		--	
City Compensatory Allowance	20,960.00		--	
Washing Allowance	1,440.00		--	
Conveyance Allowance	8,197.00		--	
Leave Encashment	48,449.00		--	
Tution Reimbursement	2,100.00		--	
Medical Reimbursement	22,350.60		--	
Central Govt. Health Scheme	13,483.00		--	
Leave Travel Concession	4,441.50		--	
Bonous	33,829.00		--	
Remuneration PA to President	6,000.00	13,14,252.10	--	
2. CONTINGENCIES				
Stationery	--		27,536.70	
Postage & Telegrams	11,732.74		--	
Electric Charges	12,124.00		--	
Water Charges	150.00		--	
Building Rent	56,400.00		--	
Telephone	46,867.00		--	
Newspaper & Periodical Books	2,937.00		--	
Audit Fee	--		24,320.00	
Printing Expenses	--		3,396.00	
Livries Expenses	5,741.80		--	
Maintenance of Office Equp.	12,758.60		--	
Sundries Expenses	28,309.03		4,500.00	
Conveyance Expenses	4,524.00		--	
Legal Expenses	--		11,359.00	
Publication	--	1,81,544.17	4,45,400.00	5,16,511.70
Balance C/F		14,95,796.27		5,16,511.70

INDIAN MEDICINE
THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1993

INCOME	NON PLAN AMOUNT	NON PLAN AMOUNT	PLAN AMOUNT	PLAN AMOUNT
Grant-in-aid received from Ministry of Health and Family Welfare, New Delhi during the year 1992-93	17,04,000.00			--
Less-Grant-Capitalise	1,003.55	17,02,996.45		--
Miscellaneous Receipts				
Sale of Raddi	280.00		--	
CGHS Facilities	466.00		--	
Interest on GP Fund	69,038.93		--	
Interest from employees on Adv	986.00	70,770.93	7,260.00	7,260.00
Recognition Fee		2,87,000.00		
Excess of Expenditure Over Income		--		6,02,286.30
BALANCE C/F		20,60,767.38		6,09,546.30

BALANCE B/F		14,95,796.27		5,16,511.7
3. TRAVEL EXPENSES				
President/Vice President	14,142.80		- -	
Secretary/Establishment	17,385.70		- -	
Members of Council	1,75,846.00		- -	
Members of Executive Committee	79,297.40		- -	
Members of Edu. Committee (Ay)	10,683.00		- -	
Members of Edu. Committee (Unani)	14,143.00		- -	
Candidates called for Interview for the post of AR (Ayurved)	684.00		- -	
Members of Regulation Committee	- -		37,410.00	
Members of Registration Committee	- -		21,779.00	
Members of Visiting Committee	- -	3,12,181.90	33,845.60	93,034.60
4. Contribution toward Pension Fund		56,911.00		- -
5. Interest to General Provident Fund		85,562.00		- -
6. Excess of Income over Expenditure		1,10,316.21		- -
TOTAL		20,60,767.38		6,09,546.30

BALANCE B/F

TOTAL	20,60,767.38	6,09,546.30

CENTRAL COUNCIL O INDIAN MEDICINE
BALANCE SHEET AS O 31ST MARCH, 1993

LIABILITIES	NON PLAN AMOUNT	NON PLAN AMOUNT	NON PLAN AMOUNT	PL AMOU
GENERAL RESERVE				
Assets acquired the day of Estt.		20,080.15		
Assets acquired out of Govt. Grant				
As per last balance Sheet	1,99,878.75		5,60,906.32	
Add: Grant Capitalised	1,003.55	2,00,882.30	- -	5,60,906
SUB TOTAL		2,20,962.45		5,60,906
Excess of Income Over Expenditure				
As per last balance sheet	1,42,419.54			
Add: Excess of Income over Expenditure during the year	1,10,316.21	2,52,735.75		
Publication				
As per last balance sheet			4,50,880.00	
Less: Adjusted during the year			3,480.00	
			4,47,400.00	
Add: Addition during the year		- -	4,45,400.00	8,92,800
General Provident Fund		9,22,988.00		
Pension Fund		5,53,336.64		
TOTAL		19,50,022.84		14,53,70

ASSETS	NON PLAN AMOUNT	NON PLAN AMOUNT	NON PLAN AMOUNT	PLAN AMOUNT
(A) NON RECURRING NATURE				
(1) Furniture & Fixture				
As per last balance sheet		73,541.65		42,687.76
(2) Books for Library				
As per last balance sheet	29,674.91			
Addition during the year	464.00	30,138.91		- -
(3) Air Cooling, Appliances				
As per last balance sheet		22,340.73		26,789.80
(4) Office Equipments				
As per last balance sheet	94,401.61			4,91,428.76
Addition during the year	539.55	94,941.16		
SUB TOTAL		2,20,962.45		5,60,906.32
(B) RECURRING NATURE				
Telephone		9,228.00		19,960.00
LOAN & ADVANCES				
(1) Festival Advance				
As per last balance sheet	6,880.00			
Addition during the year	13,200.00			
	20,080.00			
Recoveries during the year	10,840.00	9,240.00		- -
(2) Scooter Advance				
As per last balance sheet	26,140.00		5,200.00	
Recoveries during the year	15,140.00	11,000.00	4,200.00	1,000.00
(3) House Building Advance				
As per last Balance Sheet			61,300.00	
Recoveries during the year		- -	21,200.00	40,100.00
Excess of Expenditure over Income as per last Balance Sheet			2,27,839.75	
Addition during the year			6,02,286.30	8,30,126.05
Closing Balance as on 31.3.93				
Cash in hand	5,496.50		- -	
Cash at Bank in C. A/C	1,02,771.25		1,613.95	
Cash at Bank in SB A/c	1,15,000.00	2,23,267.75	- -	1,613.95
General Provident Fund		9,22,988.00		- -
Pension Fund		5,53,336.64		- -
TOTAL		19,50,022.84		14,53,706.32

CENTRAL COUNCIL OF INDIA

MEDICINE, NEW DELHI

GENERAL PROVIDEN FUND
RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FO THE ENDED YEAR 31ST MARCH, 1993

RECEIPTS	AMOUNT
Opening Balance as on 1.4.92 in Saving Bank with Bank of India	26,595.00
Subscription by Employees	1,56,879.00
Recovery of Loan from Employees	81,510.00
Interest earned from Bank on SB Account, Monthly Income Certificates & Special Deposit Scheme.	69,038.93
Amount received from Central Council for Interest 1992-93	85,562.00
Monthly Income Certificate Matured	1,10,000.00
TOTAL	5,29,584.93

PAYMENTS	AMOUNT	AMOUNT
Loan granted to Employees		78,850.00
Final withdrawal to Employees		
Subscription	97,282.00	
Interest	66.00	97,348.00
Interest transferred to Council		69,038.93
Investment in Monthly Income Certificate		2,35,000.00
Closing Balance as on 31.3.1993 in Saving Bank Account with Bank of India		49,348.00
TOTAL		5,29,584.93

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN

GENERAL PROVIDENT FUND BALANCE

1991-92	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUNT
6,20,302.00	As per Last Balance Sheet	7,77,895.00	
	Addition during the year		
1,34,479.00	Subscription	1,56,879.00	
68,972.00	Interest	85,562.00	
8,23,753.00		10,20,336.00	
45,858.00	Less - Final withdrawal	97,348.00	9,22,988.00
7,77,895.00			
7,77,895.00	TOTAL		9,22,988.00

MEDICINE, NEW DELHI

SHEET AS ON 31ST MARCH, 1993

1991-92	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	1. Investment		
	(a) Special Deposit Scheme		
1,70,500.00	As per Last Balance Sheet		1,70,500.00
1,70,500.00			
	(b) National Saving Certificate		
75,000.00	As per last balance Sheet		75,000.00
75,000.00			
	(c) Monthly Income Certificate		
2,75,000.00	As per last Balance Sheet	4,10,000.00	
1,75,000.00	Addition during the year	2,35,000.00	
4,50,000.00		6,45,000.00	
40,000.00	Less - Redeemed	1,10,000.00	5,35,00.00
4,10,000.00			
	2. Loan to Employees		
96,040.00	As per Last Balance Sheet	95,800.00	
78,575.00	Addition during the year	78,850.00	
1,74,615.00		1,74,650.00	
78,815.00	Recovery during the year	81,510.00	93,140.00
95,800.00			
	3. Closing Balance as on 31.3.93 in		
	Saving Bank Account with Bank of		
26,595.00	India		49,348.00
26,595.00			
7,77,895.00	TOTAL		9,22,988.00

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE, NEW DELHI
Pension-cum-Gratuity Fund
Receipts and Payment Accounts for the ended year 31st March, 1993

Receipts		Amount
Opening Balance as on 1.4.92 in Saving Bank Account with Bank of India		61,879.02
Contribution		56,911.00
Interest earned from Bank and Post office on Saving Bank Account, Monthly Income Certificate & National Saving Certificate		89,889.62
Investment matured		
1) Monthly Income Certificate	1,47,000.00	
2) National Saving Certificate	65,000.00	2,12,000.00
Total		4,20,679.64

Payments	Amount
Investment in Monthly Income Certificate	2,40,00.00
Pension & Gratuity to Shri SK Singh	1,62,343.00
Closing Balance as on 31.3.93 in Saving Bank Account with Bank of India	18,336.64
	4,20,679.64

CENTRAL COUNCIL OF INDIA

Pension-cum
Balance Sheet a

1991-92	LIABILITIES	AMOUNT	AMOUN
4,31,404.87	As per Last Balance Sheet	5,68,879.02	
	Addition during the year		
57,165.00	Contribution	56,911.00	
80,309.15	Interest	89,889.62	
5,68,879.02		7,15,679.64	
-	Less-Paid to Sh. SK Singh	1,62,343.00	5,53,336.6
5,68,879.02			
5,68,879.02	Total		5,53,336.6

MEDICINE, NEW DELHI

Gratuity Fund
on 31st March, 1993

1991-92	ASSETS	AMOUNT	AMOUNT
	Investment		
	1) National Saving Certificate		
	As per Last		
1,20,000.00	Balance Sheet	65,000.00	
55,000.00	Less Redeemed	65,000.00	Nil
65,000.00			
	2) Monthly Income Certificate		
3,06,000.00	As per Last		
	Balance Sheet	4,42,000.00	
1,79,000.00	Less Redeemed	1,47,000.00	
1,27,000.00		2,95,000.00	
3,15,000.00	Addition during		
	the year	2,40,000.00	5,35,000.00
4,42,000.00			
	Closing Balance as on 31.3.93 in Saving Bank A/c with		
61,879.02	Bank of India		18,336.64
61,879.02			
5,68,879.02	Total		5,53,336.64